[2022] 17 एस. सी. आर 883

एम/एस। कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

वाणिज्य विभाग का आयोग

कर और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 8673-8684 2013 का)

अगस्त 02,2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

वित्त अधिनियम, 1994: एस. 65 (105) ((संशोधित रूप में)-कार्य अनुबंध-समग्र कार्य अनुबंध-सेवा कर का शुल्क-निर्गम

वित्त अधिनियम, 2007 की शुरूआत से पहले समग्र कार्य अनुबंधों पर सेवा कर के उद्ग्रहण के संबंध में, जिसके द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 को एस. 65 (105) (zzzze) कार्य अनुबंध से संबंधित-आयोजितः इससे पहले की अवधि के लिए

वित्त अधिनियम, 2007 की शुरुआत, अविभाज्य कार्य अनुबंधों पर वित्त अधिनियम, 1994 के तहत सेवा कर नहीं लगाया गया था-लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के मामले में अदालत के बाध्यकारी निर्णय का पालन किया जाता है-लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का मामला समय की कसौटी पर खरा उतरा है और पहले कभी संदेह नहीं किया गया है-उक्त निर्णय का पालन किया गया है

इस न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा और

न्यायाधिकरण-यदि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड में फैसले पर पुनर्विचार करने और/या समीक्षा करने की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है, तो यह कानून को अस्थिर कर सकता है, जिसका 2015 से लगातार पालन किया जा रहा है-इस प्रकार, टकटकी निर्णय के सिद्धांत पर, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के मामले को न तो फिर से देखने की आवश्यकता है, न ही इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए और वह भी लगभग सात साल की अवधि के बाद-इस प्रकार,

संबंधित उच्च न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेश कि वित्त अधिनियम, 2007 से पहले की अवधि के लिए, निर्धारिती अविभाज्य/समग्र कार्य अनुबंधों पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है-वित्त अधिनियम, 2007।

पूर्ववर्ती सिद्धांत और टकटकी निर्णय-प्रासंगिकता और

का महत्व-चर्चा की गई।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः

प्रति एम. आर. शाह, जे.

1.1 टकटकी के सिद्धांत की प्रासंगिकता और महत्व

निर्णय को ध्यान में रखना होगा और कानून में, निश्चितता,

निरंतरता और निरंतरता अत्यधिक वांछनीय विशेषताएँ हैं। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

समय की कसौटी पर खरा उतरा है और पहले कभी संदेह नहीं किया गया है। उक्त निर्णय का इस न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा लगातार पालन किया गया है। इसलिए, यदि राजस्व की ओर से पुनर्विचार करने और/या लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय के निर्णय की समीक्षा स्वीकार की जाती है, उस मामले में, यह कई अन्य निर्धारकों को प्रभावित करेगा जिनके पक्ष में निर्णय पहले ही इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए और/या उसके बाद लिए जा चुके हैं।

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का मामला और यह कानून को अस्थिर कर सकता है, जिसका 2015 से लगातार पालन किया जा रहा है। विरोधाभासी आदेशों की सभी संभावनाएँ हैं। इसलिए, एकटक देखने के निर्णय के सिद्धांत पर, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर न तो पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, न ही इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जैसा कि अनुरोध किया गया था, यानी, लगभग सात साल की अवधि के बाद और जब इस आधार पर निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध करने वाला कोई समीक्षा आवेदन दायर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, जो अब इस न्यायालय के समक्ष प्रचार किया जाता है। [पैरा 10.5। 1 , 12] [899 - बी; 906-डी-जी]

* आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, केरल बनाम लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, (2016) 1 एससीसी 170: [2015]

8 एससीआर 1046-पर भरोसा किया गया।

बिल्डर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ हैं जी. डी. का मामला। बिल्डर्स बनाम भारत संघ। यह ध्यान देने योग्य है कि जी. डी. बिल्डर्स के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को इस न्यायालय द्वारा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के मामले में विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है। जीडी के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय द्वारा बिल्डरों पर विचार किया गया है और अंततः, इस न्यायालय ने राय दी कि जी. डी. के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय।

बिल्डर वास्तव में निर्णयों की एक लंबी कतार के विपरीत हैं। यह आगे विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जी. डी. के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय। बिल्डरों का यह निष्कर्ष पूरी तरह से गलत है कि वित्त अधिनियम, 1994 में मेसर्स पर सेवा कर लगाने और उसके आकलन के लिए शुल्क और तंत्र दोनों शामिल हैं।

कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर विभाग

अविभाज्य कार्य अनुबंध। यह बताया गया है कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के मामले में मामलों के समूह का निर्णय लेते समय, मेसर्स द्वारा दायर अपील के कागजात। 2014 की सिविल अपील संख्या 6523 वाले जी. डी. बिल्डरों को भी बुलाया गया और जी. डी. बिल्डरों की ओर से पेश वकील को भी सुना गया। ऐसा प्रतीत होता है कि,

तथापि, 2014 की सिविल अपील सं. 6523 मेसर्स द्वारा दायर की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जी. डी. बिल्डर्स का विशेष रूप से निपटारा नहीं किया गया है। इसलिए, एक बार जी. डी. के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय। बिल्डर, जो 2014 की सिविल अपील संख्या 6523 का विषय है, को मेसर्स द्वारा दायर 2014 की सिविल अपील संख्या 6523 को पूरी तरह से गलत माना गया है। जी. डी. बिल्डरों को अनुमति देनी होगी और निर्णय और आदेश पारित करना होगा

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए। [पैरा 13] [906-एच; 907-ए-ई]

1.3 इसे ध्यान में रखते हुए और बताए गए कारणों के लिए, आक्षेपित

संबंधित उच्च न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों को यह मानते हुए कि वित्त अधिनियम, 2007 से पहले की अवधि के लिए, संबंधित निर्धारिती अविभाज्य/समग्र कार्य अनुबंधों पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं/थे, निरस्त कर दिए जाते हैं और अलग कर दिए जाते हैं। नतीजतन, संबंधित मूल्यांकन आदेश/आदेश जो मूल रूप से संबंधित पर सेवा कर लगाते हैं।

2007 से पहले की अवधि के लिए अविभाज्य/समग्र कार्य अनुबंधों पर मूल्यांकनकर्ताओं को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। [पैरा 14] [908-एफ-जी]

डॉ. शाह फैसल और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्र। , (2020) 4 एससीसी 1: [2020] 3 एस. सी. आर. 1115; मध्य प्रदेश राज्य बनाम। महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स लिमिटेड, 1995 सप.

(1) एससीसी 642: [1995] 1 एस. सी. आर. 756; इंद्र साहनी बनाम भारत संघ, 1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217: [1992] 2 पूरक। एससीआर 454; केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड। बनाम।

आयकर आयुक्त, बॉम्बे उत्तर,

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री और अन्य। , (2021) 8 एस. सी. सी. 1; भारत संघ बनाम रघुबीर सिंह (मृत) एलआर द्वारा। आदि, (1989) 2 एस. सी. सी. 754: [1989] 3 एस. सी. आर. 316; स्टेट ऑफ मद्रास बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी,

(मद्रास) लिमिटेड, [1959] एससीआर 379, लार्सन एंड टुब्रो [2022] 17 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लिमिटेड और एन. आर. बनाम कर्नाटक राज्य और अन्न। , (2014)

1 एससीसी 708: [2013 117 एससीआर 678; नागार्जुन

कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. , (2013) 1 एससीसी 721: [2012] 10 एस. सी. आर. 1064; इमेजिक क्रिएटिव (पी) लिमिटेड। बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त और अन्य। , (2008) 2 एससीसी 614: [2008] 1 एससीआर 457; टी. एन. कल्याण मंडपम एसोसिएशन। बनाम भारत संघ और अन्य। , (2004) 5 एससीसी 632: [2004] 1 पूरक। एस. सी. आर. 169; सौराष्ट्र सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और

एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2001) 1 एस. सी. सी. 91 [2000] 4 पूरक। एस. सी. आर. 44; चंद्र प्रकाश और

ओआरएस। बनाम। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य। , (2002) 4 एससीसी 234: [2002] 2 एस. सी. आर. 913; मेडले फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त, दमन, (2011) 2 एस. सी. सी. 6014; वामन राव बनाम। भारत संघ, (1981) 2 एस. सी. सी. 362: [1981] 2 एस. सी. आर. 1; जी. डी. बिल्डर्स [(2013) 32 एस. टी. आर. 673 (दिल्ली)), के. अजीत बाबू और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य। , (1997) 6 एससीसी 473: [1997] 3 पूरक। एस. सी. आर. 56; सुंदरजस कन्यालाल भाटीजा और अन्य।

बनाम कलेक्टर ठाणे, महाराष्ट्र और अन्य। , (1989) 3 एससीसी 396 [1989] 3 एससीआर 405; आंध्र प्रदेश सरकार बनाम एपी। जसवाल (2001) 1 एससीसी 748-संदर्भित

को।

बी. वी. नागरत्ना, जे. (पूरक)

1.1 विकास, अर्थ और विकास पर चर्चा करना उपयोगी होगा।

1 जून, 2007 से वित्त अधिनियम, 1994 तक, जो कार्य अनुबंध के सेवा पहलू पर सेवा कर लगाने का प्रयास करता है। इस अभ्यास का कारण यह है कि कार्य अनुबंध अपने आप में कर योग्य नहीं है। संशोधन द्वारा परिभाषित कार्य अनुबंध में दो कार्य होते हैं। घटक, अर्थात्, एक बिक्री घटक और एक सेवा घटक। यह तभी होता है जब दोनों घटक संतुष्ट होते हैं और सह-अस्तित्व में होते हैं।

कि एक अनुबंध परिभाषित के रूप में एक कार्य अनुबंध बन जाता है। इसके अलावा, केवल कार्य अनुबंध के सेवा घटक पर ही 1 जून, 2007 से सेवा कर लगाया जा सकता है। जहाँ तक बिक्री की बात है, एम/एस।

कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर विभाग

एक कार्य अनुबंध के घटक का संबंध है, संबंधित राज्यों के बिक्री कर कानून लागू होंगे। [पैरा 5] [910-डी-एफ] 1.2 . वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) (ज़ज़ा) वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित है जो कार्य अनुबंध को परिभाषित करता है।

उक्त परिभाषा को पढ़ने से संकेत मिलता है कि कार्य अनुबंध पर सेवा कर लगाने से पहले दो आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

ऐसे अनुबंधों के निष्पादन में शामिल वस्तुओं का, जो वस्तु और सेवा कर के प्रवर्तन से पहले, बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर (वैट) को आकर्षित करेंगे। शासन और दूसरा, एक सेवा घटक जो निर्दिष्ट किया गया है

खंड (ii) (क)-(ङ) कार्य अनुबंध की परिभाषा जो वर्ष 2007 में संशोधित वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत सेवा कर को आकर्षित करेगी। यदि उपरोक्त दोनों आवश्यकताएं मौजूद हैं, तो कार्य अनुबंध पर सेवा कर लागू होता है। सेवा घटक। यह वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड (जेडजेडजेडज

देय हो गया। इसलिए, तब तक यह इतना देय नहीं था क्योंकि उक्त अधिनियम के तहत कार्य अनुबंध की कोई अवधारणा नहीं थी। [पैरा 9] [928-एफ-जी]

1.5 . लार्सन में मामले के इस पहलू को पहचानना और

टुब्रो लिमिटेड, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कार्य अनुबंध पर सेवा कर अधिरोपणीय नहीं था, जिसका अर्थ है कि कार्य अनुबंध के सेवा घटक पर ऐसा कर जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, आकर्षित नहीं करता है।

संशोधन से पहले सेवा कर। [पैरा 10] [928-जी-एच]

आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, केरल बनाम लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, (2016) 1 एससीसी 170: [2015]

8 एससीआर 1046-पर भरोसा किया गया।

1.6 . वित्त अधिनियम, 1994 में संशोधन किए जाने से पहले सेवा कर विशुद्ध रूप से सेवा अनुबंध पर लगाया जा रहा था न कि कार्य अनुबंध के सेवा तत्व पर क्योंकि तब तक कार्य अनुबंध की कोई परिभाषा नहीं थी। अतः, वित्त अधिनियम, 1994 में निम्नलिखित परिभाषा को सम्मिलित करके किया गया संशोधन -

खंड (ज़ज़ा) के तहत कार्य अनुबंध प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक नहीं है। यह पता चलने पर कि सेवा कर उस पर बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता था एक कार्य अनुबंध के सेवा तत्व के रूप में, संसद ने संशोधन की आवश्यकता महसूस की और इसे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा शामिल किया गया। [पैरा 12] [929-डी-ई]

1.7 . लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड में निर्णय सही ढंग से लिया गया है और इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

जैसा कि 1 जून, 2007 से पहले की अवधि का संबंध है। [पैरा 13] [929 एफ-जी]

गैनन डंकरली (आई)-स्टेट ऑफ मद्रास बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी (मद्रास) लिमिटेड। ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 560:

[1959 एस. सी. आर. 379], गैनन डंकरली (II)-- गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम। राजस्थान राज्य 1993 (1) एस. सी. सी. 364 [1992] 3 पूरक। एस. सी. आर. 103, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1989) 2 एस. सी. सी. 645: [1989] 2 एस. सी. आर. 320, एपी राज्य बनाम। कोन एलिवेटर (2005) 3 एस. सी. सी. 389 [2005] 2. एस. सी. आर. 152, कोन एलिवेटर इंडिया प्रा. लिमिटेड बनाम। तमिलनाडु राज्य (2014) 7 एससीसी 1: [2014] 5 एस. सी. आर. 912, भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम भारत संघ [2006] 145 एसटीसी 91 (एससी): [2006] 2 एस. सी. आर. 823, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य मेसर्स।

कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर विभाग

बिक्री कर आयुक्त बनाम पुरुषोत्तम प्रेमजी (1970) 2 एस. सी. सी. 287, तमिलनाडु कल्याण मंडपम

एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2004) 5 एस. सी. सी. 632:

[2004] 1 पूरक। एससीआर 169, इमेजिक क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड बनाम।

वाणिज्यिक कर आयुक्त और अन्य। (2008)

कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम भारत सरकार और ओआरएस। (2013) 1 एससीसी 721: [2012] 10 एससीआर 1064,

माहिम पात्रम (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ (2007) 3 एससीसी

668 : [2007] 3 एस. सी. आर. 73, सेवा कर आयुक्त

और अन्य बनाम भयान बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और

अन्य (2018) 3 एस. सी. सी. 782, जी. डी. बिल्डर्स बनाम यूनियन ऑफ

भारत (2013) 32 एसटीआर 673]-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

एम. आर. शाह के निर्णय में, जे.

[2015] 8 एससीआर 1046

उस पर भरोसा करें

पैरा

12,1.

[1959] एससीआर 379

संदर्भित किया गया है

पैरा

6.1

[2013] 17 एससीआर 678

संदर्भित किया गया है

पैरा

6.1

[2012] 10 एससीआर 1064

संदर्भित किया गया है

पैरा

6.1

[2008] 1 एससीआर 457

संदर्भित किया गया है

पैरा

6.1

[2004] 1 पूरक। एससीआर 169

पैरा

6.1

संदर्भित किया गया है

[2002] 2 एससीआर 913

पैरा

10.6

संदर्भित किया गया है

[1981] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

11.4

[1965] एससीआर 908

पैरा

10.5

पीछा किया।

[2020] 3 एससीआर 1115

पीछा किया।

पैरा

10.6

[1989] 3 एससीआर 316

संदर्भित किया गया है

पैरा

11.2

[1992] 2 पूरक। एससीआर 454

पीछा किया।

पैरा

12

[1997] 3 पूरक। एससीआर 56

संदर्भित किया गया है

पैरा

11.3

[1989] 3 एससीआर 405

संदर्भित किया गया है

पैरा

11.3

[2000] 4 पूरक। एससीआर 44

संदर्भित किया गया है

पैरा

11.5

[1995] 1 एससीआर 756

पीछा किया।

पैरा

11.5 [2022] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी. वी. नागरत्ना के निर्णय में, जे.

[2015] 8 एससीआर 1046

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[1959] एससीआर 379

पै

रा 5 (ए)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5 (सी)

[1992] 3 पूरक। एससीआर 103

संदर्भित किया गया है

[1989] 2 एससीआर 320

पै

रा 5 (ई)

संदर्भित किया गया है

[2005] 2 एससीआर 152

पै

रा 5 (जी)

संदर्भित किया गया है

[2014] 5 एससीआर 912

पै

रा 5 (जी)

संदर्भित किया गया है

[2006] 2 एससीआर 823

पै

रा 5 (एच)

संदर्भित किया गया है

[2013] 17 एससीआर 678

पै

रा 5 (1)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6 (ए)

[2004] 1 पूरक। एससीआर 169

संदर्भित किया गया है

[2008] 1 एससीआर 457

पै

रा 6 (बी)

संदर्भित किया गया है

[2012] 10 एससीआर 1064

पै

रा 6 (सी)

संदर्भित किया गया है

[2007] 3 एससीआर 73

पै

रा 7 (ई)

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.8673

8684 2013 से।

उच्च न्यायालय के 07.10.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 की रिट अपील Nos.3481-3492 में बैंगलोर में कर्नाटक सरकार की।

के साथ

सिविल अपील 2014 का 6523,6526,2022 का 2666,4547

4548 2014 का 2667,2022 का 6792 और 2022 का 2668।

सुश्री माधवी दीवान, एएसजी, ए. के. पांडा, अरिजीत प्रसाद, अरविंद पी.

दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मुकेश कुमार मरोरिया, सुश्री अरुणा गुप्ता, सुश्री दीक्षा राय, वत्सल जोशी, अनिरुद्ध पुरुषोत्तम, विशेष कालरा, बी. कृष्ण प्रसाद, साणंद रामकृष्णन, राजीव मिश्रा, सुनील नारायणन, सुश्री निशा बागची, सुश्री शीना ताकी, ध्वनित चोपड़ा, सुश्री आकांक्षा सैनी, शिव विनायक गुप्ता, श्रीमती बीना गुप्ता, जे. के. मित्तल, सुश्री वंदना मित्तल, सुश्री आशना सूरी, प्रवीण कुमार, सुश्री सुनैना कुमार, वी. एन. रघुपति, प्रवीण स्वरूप, सुश्री अनुभा अग्रवाल, वी. लक्ष्मीकुमारन, आदित्य। भट्टाचार्य, सुश्री मौनिका कस्तुरी, सुश्री पूर्वी असाती, सुश्री अपेक्षा मेहता, सुश्री चरण्या लक्ष्मीकुमारन, भानु कपूर, एस. रविशंकर, अमोल चिताले, निर्निमेश दुबे, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, अर्धनदुमौली कुमार प्रसाद, मैसर्स।

कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर विभाग

सुश्री श्रेया श्रीवास्तव, आशीष मदान, ई. सी. अग्रवाल, शिवाजी एम. जाधव, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, सुश्री रंजीता रोहतगी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

एम. आर. शाह, जे.

1. जैसा कि अपीलों के इस समूह में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है, उनका निर्णय इस सामान्य निर्णय और व्यवस्था द्वारा किया जा रहा है और उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. अपीलों के वर्तमान समूह में शामिल मुद्दा यह है कि "क्या,

वित्त अधिनियम, 2007 के लागू होने से पहले समग्र कार्य अनुबंधों पर सेवा कर लगाया जा सकता था, जिसके द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 को कार्य अनुबंधों से संबंधित धारा 65 (105) (ज़ज़ा) लागू करने के लिए संशोधित किया गया था?

3. कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.10.2009 के विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

बेंगलुरू में लिखित अपील सं। 3481-3492 2009 का जिसके द्वारा प्रभाग उच्च न्यायालय की पीठ ने उक्त रिट अपीलों को खारिज कर दिया है और उन रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है जिसमें अपीलार्थी ने वैधानिक अपील के माध्यम से उपलब्ध वैकल्पिक उपचार के आधार पर सेवा कर लगाने वाले मूल्यांकन आदेशों को चुनौती दी थी। टोटल एनवायरनमेंट बिल्डिंग सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है

- सिविल अपील सं। 8673-8684 2013 से।

3.1 2008 की रिट याचिका संख्या 1342 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना, जिसके द्वारा जी. डी. बिल्डर्स बनाम के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया था। भारत संघ, (2013) 32 एसटीआर 673 (दिल्ली), जो 2014 की सिविल अपील संख्या 6523 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष विषय है, डिवीजन बेंच ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि यह केवल सेवा तत्व है, जिस पर कर लगाया जाना है, मूल रिट याचिकाकर्ता-निर्धारिती-वाईएफसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड ने 2014 की वर्तमान सिविल अपील संख्या 6525 को प्राथमिकता दी है।

3.2 दिनांकित उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना 13.11.2013 2008 की रिट याचिका (सी) संख्या 4107 में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है, निर्धारिती [2022] 17 एस. सी. आर.

– जी. डी. बिल्डर्स ने 2014 की वर्तमान सिविल अपील संख्या 6523 को प्राथमिकता दी है।

इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त, केरल बनाम लार्सन के मामले में।

और टुब्रो लिमिटेड, (2016) 1 एस. सी. सी. 170, इस न्यायालय ने जी. डी. के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को विशेष रूप से खारिज कर दिया है। बिल्डरों (ऊपर) और ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 31 में की गई टिप्पणियां अपने निष्कर्ष में पूरी तरह से गलत हैं कि वित्त अधिनियम, 1994 में अविभाज्य कार्यों पर सेवा कर लगाने और मूल्यांकन के लिए शुल्क और तंत्र दोनों शामिल हैं।

अनुबंध।

इस स्तर पर, यह बताया गया है कि 2014 की सिविल अपील संख्या 6523 पर भी सुनवाई की गई, जो अब विचाराधीन है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले का निर्णय करते समय अपील और यहां तक कि 2014 की सिविल अपील संख्या 6523 के कागजात भी संबंधित पीठ द्वारा बुलाए गए थे। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि 2014 की सिविल अपील संख्या 6523 का निरीक्षण/या अनजाने में निपटारा नहीं किया गया है और इसलिए इसे लंबित रखा गया है, जिसे अब अन्य अपीलों के साथ इस न्यायालय के समक्ष अधिसूचित किया गया है।

3.3 नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

09.01.2014 2013 की रिट याचिका (सी) संख्या 6803 में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने जी. डी. बिल्डर्स (उपरोक्त) के मामले में अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है, निर्धारिती-मूल रिट याचिकाकर्ता-मेसर्स. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एन. बी. सी. सी.) ने 2014 की वर्तमान दीवानी अपील संख्या 6526 को प्राथमिकता दी है।

13.11.2013 2008 की रिट याचिका संख्या 5046 में जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एक अन्य याचिका के साथ उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है। जी. डी. के मामले में रिट याचिका। बिल्डर (ऊपर), निर्धारिती-मेसर्स। यूनिटेक लिमिटेड ने 2022 की वर्तमान सिविल अपील संख्या 2666 को प्राथमिकता दी है।

2014 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 36206 से उद्भूत।

3.5 गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका संख्या 1 में पारित किए गए विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना। 5676 और 2012 का 5678, मूल एम/एस।

कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर विभाग [एम. आर. शाह, जे.]

रिट याचिकाकर्ता-निर्धारिती-एनबीसीसी ने वर्तमान सिविल अपील संख्या को प्राथमिकता दी है। 4547-4548 2014 से।

3.6 सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा द्वारा पारित दिनांक 19.03.2015 के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

सेवा कर स्थगन संख्या 59278 में कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) 2013 2013 की एस. टी. अपील संख्या 58658 में, निर्धारिती-मेसर्स. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने 2015 की एसएलपी (सी) संख्या 21828 से उत्पन्न 2022 की वर्तमान सिविल अपील संख्या 2667 को प्राथमिकता दी है।

3.7 सी. ई. एस. टी. ए. टी., पश्चिम क्षेत्रीय पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक 10.03.2010 आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

अपील सं। 2006 का एसटी/275, राजस्व ने 2010 की वर्तमान सिविल अपील संख्या 6792 को प्राथमिकता दी है।

3.8 एस. टी./स्टे/में सी. ई. एस. टी. ए. टी., मुंबई द्वारा पारित दिनांक 12.06.2015 के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना। 3022 / 12 - 2012 की एस. टी. अपील संख्या 873 में मम, निर्धारिती मेसर्स। एल एंड टी, हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड (जिसे पहले लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ने 2015 के एसएलपी (सी) संख्या 32501 से उत्पन्न होने वाली 2022 की वर्तमान सिविल अपील संख्या 2668 को प्राथमिकता दी है।

4. जैसा कि ऊपर देखा गया है, वर्तमान अपीलों में शामिल मुद्दा यह है कि "क्या वित्त अधिनियम, 2007 के लागू होने से पहले समग्र कार्य अनुबंधों पर सेवा कर लगाया जा सकता है, जिसके द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 को धारा लागू करने के लिए संशोधित किया गया था।

65 (105) ( ) कार्य अनुबंधों से संबंधित? "

5. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा केंद्रीय आयुक्त के मामले में विचार किया गया था।

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, केरल बनाम लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, (2016) 1 एससीसी 170। उपरोक्त निर्णय में, विचार करने के बाद

2007 से पहले और 2007 के बाद सेवा कर लगाने की पूरी योजना में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से यह मत व्यक्त किया है और कहा है कि वित्त अधिनियम, 2007 लागू होने से पहले की अवधि के लिए अविभाज्य कार्य अनुबंधों पर, वित्त अधिनियम, 1994 के तहत सेवा कर देय नहीं था। यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जिन कार्य अनुबंधों पर वित्त अधिनियम, 1994 के तहत सेवा कर लगाया गया था, वे सेवा अनुबंधों से अलग हैं।

6. राजस्व की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि वर्तमान अपीलों में शामिल मुद्दा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के दायरे में आता है।

2] 17 एस सी आर।

तथापि, सुश्री माधवी दीवानक अनुसार, उपरोक्त मामलामे एहि न्यायालयक ओहि निर्णयपर फेरसँ विचार करबाक आवश्यकता अछि जाहिमे कहल गेल छल जे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधनसँ पूर्व कार्य अनुबंधपर कोनो सेवा कर नहि लगाओल गेल छल।

6.1 इस निर्णय पर फिर से विचार करने की उनकी प्रार्थना के समर्थन में

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में अदालत, सुश्री माधवी दीवान, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कई

प्रस्तुतियाँ और हमें संबंधित विधायी इतिहास में ले गई हैं

सेवा कर। उन्होंने हमें कार्य अनुबंध की परिभाषा पर भी ले जाया है और जिसे कार्य अनुबंध कहा जा सकता है। उन्होंने हमें इस न्यायालय के कई अन्य फैसलों के माध्यम से भी ले जाया है, जिसमें मद्रास राज्य बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी के मामले में निर्णय शामिल हैं।

एन. आर. बनाम कर्नाटक राज्य और अन्र। , (2014) 1 एस. सी. सी. 708; नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. , (2013) 1 एस. सी. सी. 721; इमेजिक क्रिएटिव (पी) लिमिटेड। बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त और अन्य। , (2008) 2 एससीसी 614; और टी. एन. कल्याण मंडपम एसोसिएशन। बनाम भारत संघ और अन्य। , (2004) 5 एससीसी 632।

राजस्व की ओर से यह मामला है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि एक समग्र कार्य अनुबंध में सेवा घटक को प्रभार्य सेवा कर बनाने के लिए ऐसा कोई तंत्र प्रावधान नहीं था। इसलिए, राजस्व की ओर से यह मामला है कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों और निष्कर्षों में कहा गया है कि कार्यों पर कोई सेवा कर नहीं लगाया गया था वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधन से पहले के अनुबंध मौलिक रूप से गलत और पिछले निर्णयों द्वारा निर्धारित अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के विपरीत हैं, जिसमें इस न्यायालय की बड़ी पीठों द्वारा पारित निर्णय भी शामिल हैं।

हालाँकि, नीचे बताए गए कारणों के लिए, हम लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर फिर से विचार करने के उनके अनुरोध के समर्थन में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान द्वारा योग्यता के आधार पर की गई दलीलों पर विस्तृत रूप से विचार करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

एम/एस। कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर विभाग [एम. आर. शाह, जे.]

प्रस्तुत किया कि इस प्रकार, वर्तमान अपीलों में शामिल मुद्दा स्पष्ट रूप से है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत आता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों से उत्पन्न होने वाली अधिकांश अपीलों में, उच्च न्यायालय ने जी. डी. के मामले में अपने निर्णय का पालन किया है।

बिल्डर (ऊपर)। कि जी. डी. बिल्डर्स (ऊपर) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को इस न्यायालय द्वारा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (ऊपर) के मामले में पूरी तरह से गलत माना गया है। उन्होंने हमें पैराग्राफ 28,29,30,31,32,33,38 और 39 में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियों पर ले जाया है।

7.1 कुछ कर निर्धारकों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दातार ने जोर देकर कहा कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, यह विशेष रूप से देखा गया है कि वित्त अधिनियम, 1994 के तहत एक कर योग्य सेवा में सेवा अनुबंध शामिल हैं, न कि समग्र कार्य अनुबंध (उक्त निर्णय के पैराग्राफ 23 और 29 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है)। यह तर्क दिया जाता है कि छूट का उल्लेख करते हुए

पैराग्राफ 42 में अधिसूचनाओं में यह विशेष रूप से देखा गया है और कहा गया है कि चूंकि सेवा कर का उद्ग्रहण अस्तित्व में नहीं पाया गया है, इसलिए किसी भी छूट का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। कुछ कर निर्धारकों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दातार ने आगे यह आग्रह किया है कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का बाद में इस न्यायालय ने सेवा कर आयुक्त और अन्य के मामले में पालन किया है। बनाम भयान बिल्डर्स

प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। , (2018) 3 एससीसी 782। कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का पालन करने और उस पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने राजस्व द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। 7.2 कुछ कर निर्धारकों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दातार ने आगे कहा कि 2015 के बाद, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का देश के सभी उच्च न्यायालयों और विभिन्न न्यायाधिकरणों द्वारा लगातार पालन किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि छह से सात साल की अवधि के बाद, लार्सन एंड टुब्रो [2022] 17 एस. सी. आर. के मामले में इस न्यायालय का निर्णय।

राजस्व के कहने पर सीमित (उपर्युक्त) पर फिर से विचार किया जाना है, यह न्यायाधिकरणों और विभिन्न न्यायाधिकरणों द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। उच्च न्यायालय। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए टकटकी लगाने के निर्णय के सिद्धांत पर, यह न्यायालय इसके द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण नहीं ले सकता है।

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में न्यायालय और/या

राजस्व के कहने पर, विशेष रूप से, जब राजस्व ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए पहले कोई समीक्षा आवेदन दायर नहीं किया था, अब इस पर इस अवधि में फिर से विचार नहीं किया जाएगा।

7.3 यह आगे कुछ आकलनकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दातार द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि कुछ अपीलों में

वर्तमान मामला न्यायाधिकरणों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों से उत्पन्न होता है। कि इसके बाद, लार्सन एंड टुब्रो के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए न्यायाधिकरणों द्वारा अंतिम आदेश पारित किए गए हैं।

लिमिटेड (उपरोक्त) और राजस्व ने अंतिम निर्णय को चुनौती नहीं दी है। इसलिए, राजस्व ने लगभग सभी मामलों में निर्णयों को स्वीकार कर लिया है, जो पहले ही अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं।

7.4 कुछ निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दातार ने वित्त अधिनियम, 2007 से पहले समग्र कार्य अनुबंधों पर सेवा कर न लगाने पर भी विस्तृत दलीलें दी हैं। उन्होंने वित्त अधिनियम, 2007 पेश करते समय संसद में संशोधन पेश करते समय तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण के बारे में भी बताया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहली बार, वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा किए गए वित्त अधिनियम संशोधन के अनुसार समग्र कार्य अनुबंधों पर सेवा कर लगाया जाता है। हालाँकि, नीचे दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, हम प्रस्ताव नहीं करते हैं

संबंधित पक्षों की ओर से की गई विस्तृत दलीलों पर विस्तार से विचार करें और/या विचार करें कि क्या वित्त अधिनियम, 2007 से पहले समग्र कार्य अनुबंधों पर सेवा कर लगाया जा सकता था या नहीं और क्या लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, जैसा कि अब प्रस्तुत किया गया है और/या राजस्व की ओर से अनुरोध किया गया है।

8. सुना गया, सुश्री माधवी दीवान, राजस्व की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान ए. एस. जी. और श्री अरविंद दातार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और

संबंधित निर्धारिती की ओर से उपस्थित अन्य विद्वान वरिष्ठ और अन्य वकील।

9. इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न पूछा गया है, वह है, "क्या वित्त अधिनियम, मेसर्स के लागू होने से पहले की अवधि के लिए है।

कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर विभाग [एम. आर. शाह, जे.]

2007 , समग्र कार्य अनुबंधों पर सेवा कर लगाया जाएगा?

10. शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या 2007 के बाद, समग्र कार्य अनुबंधों पर सेवा कर लगाया गया था

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के प्रत्यक्ष निर्णय को देखते हुए अब समाकलन नहीं है। 10.1 सुश्री दीवान, विद्वान ए. एस. जी. इस बात पर विवाद नहीं कर रही हैं कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से

अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया कि वित्त अधिनियम, 2007 के बाद अविभाज्य/समग्र कार्य अनुबंधों पर सेवा कर अधिरोपणीय नहीं था। हालांकि, विद्वान ए. एस. जी. के अनुसार, उक्त निर्णय पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है और इसलिए, मामले को बड़ी पीठ को भेजने का अनुरोध किया जाता है। 10.2 लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय पर फिर से विचार करने और मामले को बड़ी पीठ को भेजने के लिए राजस्व की ओर से की गई प्रार्थना/प्रस्तुति की सराहना करते हुए, कुछ तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैं:

((i) लार्सन के मामले में इस न्यायालय का निर्णय और

टुब्रो लिमिटेड (सुप्रा) को वर्ष 2015 में वितरित/पारित किया गया है, जिसमें यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि अविभाज्य कार्यों पर पूर्व-वित्त अवधि के लिए अनुबंध

अधिनियम, 2007, सेवा कर अधिरोपणीय नहीं था;

((ख)

पूरी योजना और सेवा शुल्क पर विचार करने के बाद कर पूर्व-वित्त अधिनियम, 2007 और ठोस कारण देने के बाद, इस न्यायालय द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया है जिसमें कहा गया है कि सेवा कर वित्त अधिनियम, 2007 से पहले देय नहीं था।

अविभाज्य/समग्र कार्य अनुबंधों पर;

(iii)

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वित्त अधिनियम, 2007 से पूर्व की अवधि के लिए,

अविभाज्य/समग्र कार्य अनुबंध, सेवा कर अधिरोपणीय नहीं है, इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में कई निर्णयों पर विचार किया गया है और उन पर विचार किया गया है;

(iv) कि बाद में, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत के फैसले का पालन किया गया है और इस अदालत द्वारा भयाना के मामले में विचार किया गया है।

बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस।

, (

ऊपर); [2022] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(v)

कि लार्सन के मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद वर्ष 2015 में प्रदान किए गए टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त), उक्त निर्णय का विभिन्न उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा लगातार पालन किया गया है;

(vi) विभिन्न उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णय, जो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का पालन करने के बाद पारित किए गए थे, ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और कई मामलों में, राजस्व ने

उक्त निर्णयों को चुनौती दी;

(vii) राजस्व द्वारा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की समीक्षा करने और/या वापस लेने के लिए कोई समीक्षा आवेदन दायर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। यदि राजस्व का विचार इतना गंभीर था कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है,

राजस्व को उस स्तर पर और/या उसके बाद भी समीक्षा आवेदन दायर करना चाहिए था। आज तक ऐसा कोई समीक्षा आवेदन दायर नहीं किया गया है।

((viii) केवल इसलिए कि बाद के मामलों में शामिल कर की राशि अधिक हो सकती है, पहले के बाध्यकारी निर्णय पर पुनर्विचार के लिए प्रार्थना करने का आधार नहीं हो सकता है, जिसका विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों द्वारा लगातार पालन किया गया है।

पूरे देश में न्यायाधिकरण।

10.3 उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, राजस्व की ओर से लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार करने और

वृहत न्यायपीठ के मामले पर विचार किया जाना आवश्यक है।

10.4 राजस्व की ओर से इस न्यायालय के पूर्व निर्णय की समीक्षा और/या पुनर्विचार करने के लिए की गई प्रार्थना पर विचार करते हुए

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (ऊपर), टकटकी निर्णय के सिद्धांत पर कुछ निर्णयों को संदर्भित करने और विचार करने की आवश्यकता है।

10.5 डॉ. जैश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम प्रमुख के मामले में।

मंत्री और अन्य। , (2021) 8 एस. सी. सी. 1, केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड के मामले में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पहले के फैसले पर विचार करने के बाद। बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे

उत्तर, अहमदाबाद, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1636 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपने पहले के निर्णय की समीक्षा और संशोधन करने से पहले न्यायालय को एस. टोटल एनवायरनमेंट बिल्डिंग सिस्टम्स पी. वी. टी. को संतुष्ट करना चाहिए।

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर विभाग [एम. आर. शाह, जे.]

सार्वजनिक भलाई के हित में या किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसा करना आवश्यक है

बाध्यकारी कारण और न्यायालय को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए

देश में कानून की व्याख्या में निरंतरता।

10.5. 1 टकटकी निर्णय के सिद्धांत पर कानून पर चर्चा करने के बाद, यह माना गया कि सिद्धांत की प्रासंगिकता और महत्व

निर्णय को ध्यान में रखना होगा और कानून में, निश्चितता,

दृढ़ता और निरंतरता अत्यधिक वांछनीय विशेषताएं हैं। धारण करते समय

पैराग्राफ 453 से 456 तक, यह निम्नानुसार मनाया और माना जाता हैः

अपने पहले के निर्णय को संशोधित करते हुए न्यायालय को स्वयं संतुष्ट होना चाहिए कि क्या ऐसा करना सार्वजनिक हित में या किसी अन्य के लिए आवश्यक है। बाध्यकारी कारण और न्यायालय को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए

कानून की व्याख्या में निश्चितता और निरंतरता देश।

454. जरनैल सिंह बनाम। लक्ष्मी नारायण गुप्ता [(2018) 10

एस. सी. सी. 396], एम. नागराज [एम. नागराज बनाम। भारत संघ (2006) 8 एस. सी. सी.

आकाशवाणी 1965 एससी 1636: (1965) 2 एससीआर 908]। पैरा 9 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है (जरनैल सिंह मामला [जरनैल] सिंह बनाम। लक्ष्मी नारायण गुप्ता, (2018) 10 एस. सी. सी. 396], एस. सी. सी. पीपी। 410-11)

" 9. चूंकि हमें एक सर्वसम्मत संविधान पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है

बेंच का फैसला, केशव मिल्स [केशव] मामले में संविधान बेंच के फैसले की चेतावनी को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है मिल्स कं. लिमिटेड बनाम सीआईटी, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1636: (1965) 2 एससीआर 908]। इस अदालत ने कहाः (एससीआर पीपी। 921-22 : एयर पी। 1644 , पैरा 23)

'23 . ..... अपने पहले के निर्णय की समीक्षा और संशोधन करते समय, इस न्यायालय को खुद से पूछना चाहिए कि क्या सार्वजनिक हित में या किसी अन्य वैध और बाध्यकारी कारणों से, यह आवश्यक है कि पहले के निर्णय को संशोधित किया जाए। कब

यह न्यायालय विधि के प्रश्नों का निर्णय करता है, इसके निर्णय, अनुच्छेद 141 के तहत, भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, और इसलिए, यह [2022] 17 एस. सी. आर. का निरंतर प्रयास और चिंता होनी चाहिए।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

यह न्यायालय निश्चितता के एक तत्व को प्रस्तुत करने और बनाए रखने के लिए

और देश में कानून की व्याख्या में निरंतरता। इस न्यायालय द्वारा इस आधार पर अपने पहले के फैसलों की समीक्षा करने की अपनी शक्ति का बार-बार प्रयोग करना कि बाद में उसके समक्ष रखा गया दृष्टिकोण अधिक उचित प्रतीत होता है, संयोग से कानून को अनिश्चित बना सकता है और लागू कर सकता है।

भ्रम जिसे लगातार टाला जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि बाद के किसी अवसर पर न्यायालय संतुष्ट है कि उसका पहले का निर्णय स्पष्ट रूप से गलत था, तो उसे ऐसा करना चाहिए।

त्रुटि को सुधारने में संकोच करें; लेकिन इससे पहले कि पिछले निर्णय को स्पष्ट रूप से गलत घोषित किया जाए, न्यायालय को होना चाहिए इसके बीच उचित मात्रा में सर्वसम्मति से संतुष्ट

सदस्यों का कहना है कि उक्त दृष्टिकोण का संशोधन पूरी तरह से उचित है। यह संभव या वांछनीय नहीं है, और किसी भी मामले में ऐसे किसी भी सिद्धांत को निर्धारित करना अनुचित होगा जो अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा और संशोधन के प्रश्न से निपटने में न्यायालय के दृष्टिकोण को नियंत्रित करे। यह हमेशा होगा।

कई प्रासंगिक विचारों पर निर्भर करता है

दुर्बलता या त्रुटि की प्रकृति जिस पर पूर्व के दृष्टिकोण की समीक्षा और संशोधन के लिए याचिका आधारित है? इससे पहले के अवसर पर, क्या प्रश्न के कुछ पेटेंट पहलू थे

किसी का ध्यान नहीं गया, या किसी भी प्रासंगिक और भौतिक वैधानिक प्रावधान की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था, या

जब भी इस न्यायालय को अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा और संशोधन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, तो इसे ध्यान में रखा जाता है। ये विचार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब पहले का निर्णय एक सर्वसम्मत निर्णय होता है

इस न्यायालय के पाँच विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ।

टकटकी लगाने के निर्णय का सिद्धांत भी हमें श्री रोहतगी की टिप्पणियों को स्वीकार नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इस एस. टोटल एनवायरनमेंट बिल्डिंग सिस्टम पी. वी. टी. की संविधान पीठ। लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर विभाग [एम. आर. शाह, जे.]

गुजरात राज्य में न्यायालय बनाम। मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात [(2005) 8 एस. सी. सी. 534] ने पैराग्राफ 111 और 118 में निम्नलिखित निर्णय के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहाः (एससीसी पीपी। 589 & 591)

" 111. स्टेयर डिसिसिस एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है तय किए गए मामलों के साथ खड़ा होना; पूर्ववर्ती को बनाए रखना; पूर्व निर्णय को बनाए रखना। यह सिद्धांत उक्ति "टकटकी" में व्यक्त किया गया है। निर्णय लेना और शांत नहीं रहना "जिसका अर्थ है खड़े रहना।

निर्णय लेना और जो तय किया जाता है उसे बाधित नहीं करना। यह उचित रूप से रखा गया था

लॉर्ड कोक ने अपने क्लासिक अंग्रेजी संस्करण में कहा है कि 'जिन चीजों पर अक्सर निर्णय लिया गया है, उन्हें शांति से रहना चाहिए'।

हालांकि, फ्रैंकफर्टर, जे. के अनुसार, टकटकी निर्णय का सिद्धांत "तर्क का कारावास" नहीं है (उन्नत कानून)। लेक्सिकन, पी. रामनाथ अय्यर, तृतीय संस्करण। 2005 , खण्ड. 4 , पी. 4456)। इस सिद्धांत का अंतर्निहित तर्क निरंतरता बनाए रखना है।

और अनिश्चितता से बचें। मार्गदर्शक दर्शन यह है कि एक दृष्टिकोण जो लंबे समय से इस क्षेत्र में है, उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

केवल इसलिए कि दूसरा दृष्टिकोण संभव है।

***

118. टकटकी निर्णय के सिद्धांत का आम तौर पर पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक घोषणाओं की एक श्रृंखला पर आधारित कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। फिर भी, बदले हुए तथ्यों और परिस्थितियों की मांगें, तर्क द्वारा समर्थित शक्तिशाली कारकों द्वारा निर्धारित, एक नए रूप की आवश्यकता को उचित ठहराती हैं। "

456. इंद्र साहनी में संविधान पीठ [इंद्र] साहनी वी। भारत संघ, 1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217] ने बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. के माध्यम से बोलते हुए कहा है कि टकटकी निर्णय के सिद्धांत की प्रासंगिकता और महत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह दोहराया गया कि कानून में निश्चितता, निरंतरता और निरंतरता अत्यधिक वांछनीय विशेषताएं हैं। पैरा 683 में सटीक शब्द निम्नलिखित हैंः (एस. सी. सी पी. 657)

" 683. ..... हालाँकि, हम एक बड़ी पीठ में बैठे हैं, हमने टकटकी निर्णय के सिद्धांत की प्रासंगिकता और महत्व को ध्यान में रखा है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि कानून में

निश्चितता, निरंतरता और निरंतरता अत्यधिक वांछनीय हैं। विशेषताएँ। जहाँ एक निर्णय समय की कसौटी पर खरा उतरा है और [2022] 17 एस. सी. आर. है।

हालाँकि, जहाँ ऐसी एकरूपता नहीं पाई जाती है, वहाँ हमने अपने संविधान की योजना और लक्ष्य और पहले रखी गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए सैद्धांतिक रूप से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है।
हम "।

10.6 डॉ. शाह फैसल और अन्य के मामले में। बनाम भारत संघ और अन्न। , (2020) 4 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय की संविधान पीठ के पास टकटकी से निर्णय लेने के सिद्धांत और पूर्व निर्णय के पूर्ववर्ती/पुनः विचार/समीक्षा के कानून पर विचार करने का अवसर था। चंद्र प्रकाश और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर विचार करने के बाद।

बनाम। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य। , (2002) 4 एस. सी. सी. 234 (पैराग्राफ 22), इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि पूर्ववर्ती और टकटकी निर्णय के सिद्धांत हमारी कानूनी प्रणाली के मूल मूल्य हैं। वे उपकरण बनाते हैं जो हमारी कानूनी प्रणाली में निश्चितता, स्थिरता और निरंतरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं। जब इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है, तो यह एक निर्भरता ब्याज प्राप्त करता है और समाज वर्तमान कानूनी आदेश के आधार पर खुद को व्यवस्थित करता है। ऐसा मानते हुए और मानते हुए, इसे पैराग्राफ 17 से 19 में नीचे दिया गया है:

" 17. इस न्यायालय के न्यायशास्त्र से पता चला है कि आम तौर पर अदालतें स्थापित उदाहरणों को तब तक खारिज नहीं करती हैं जब तक कि इस तरह के विकास को अनिवार्य करने वाला कोई सामाजिक, संवैधानिक या आर्थिक परिवर्तन न हो।
संख्या स्वयं संयम और उस मूल्य की बात करती है जिसे यह न्यायालय पूर्ववर्ती के सिद्धांत से जोड़ता है। यह न्यायालय इस संबंध में

अपरिहार्य आधार के रूप में पूर्ववर्ती का उपयोग जिस पर यह न्यायालय न्याय प्रदान करता है। इस तरह के उदाहरणों का उपयोग, कुछ हद तक, निश्चितता पैदा करता है जिस पर व्यक्ति भरोसा कर सकते हैं और आचरण कर सकते हैं
उनके मामले। यह कानून के शासन के विकास के लिए एक आधार भी बनाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में

संयुक्त राज्य अमेरिका, जॉन रॉबर्ट्स ने अपनी सीनेट के दौरान अवलोकन किया

पुष्टिकरण सुनवाई, "यह कानूनी प्रणाली के लिए एक झटका है जब आप एक पूर्ववर्ती को रद्द करें। पूर्ववर्ती एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

स्थिरता और बराबरी को बढ़ावा देना "। [कांग्रेसनल रिकॉर्ड-सीनेट, वॉल्यूम। 156 , पं. 7 , 10018 (7-6-2010) .]

18. पूर्ववर्ती सिद्धांत और टकटकी से निर्णय लेना हमारी कानूनी प्रणाली के मूल मूल्य हैं। वे उपकरण बनाते हैं जो हमारी कानूनी प्रणाली में निश्चितता, स्थिरता और निरंतरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं। तर्कसंगत रूप से, न्यायाधीशों का कर्तव्य कानून की निश्चितता की अवधारणा के प्रति है, इसलिए एम/एस।

कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर विभाग [एम. आर. शाह, जे.]

वे अक्सर स्थापित पर भरोसा करके अपनी होल्डिंग्स को सही ठहराते हैं

कानून के सिद्धांत।

19. जब इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है, तो यह एक निर्भरता प्राप्त करता है।

हित और समाज वर्तमान कानूनी आधार पर खुद को व्यवस्थित करते हैं।

आदेश दें। जब पर्याप्त न्यायिक समय और संसाधन खर्च किए जाते हैं

संदर्भ, वही एक आकस्मिक या घुड़सवार में नहीं किया जाना चाहिए

तरीके से। यह केवल तभी होता है जब किसी प्रस्ताव का बाद के प्रस्ताव द्वारा खंडन किया जाता है।

उसी पीठ का निर्णय, या यह दिखाया गया है कि प्रस्ताव

निर्धारित कार्य अनुपयोगी या एक अच्छी तरह से स्थापित कार्य के विपरीत हो गया है।

सिद्धांत, कि एक संदर्भ एक बड़ी पीठ को दिया जाएगा। इसमें

प्रकाश वी. उत्तर प्रदेश राज्य [(2002) 4 एस. सी. सी. 234], विचार करने के बाद पहले के फैसलों की श्रृंखला ने दोहराया किः (एस. सी. सी पी. 245, पैरा 22)

" 22. ..... बाध्यकारी पूर्ववर्ती का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है

हमारी न्यायिक प्रणाली के प्रशासन में महत्व। यह.

न्यायिक निर्णयों में निश्चितता और निरंतरता को बढ़ावा देता है।

न्यायिक स्थिरता प्रणाली में विश्वास को बढ़ावा देती है,

इसलिए, इसमें निरंतरता की आवश्यकता है इसके निर्णयों में कानूनी सिद्धांतों का प्रतिपादन

अदालत "।

(जोर दिया गया) "

10.7 उपरोक्त निर्णय में यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि यहां तक कि

निर्णयों को निरस्त करने के नियम को बहुत सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए, और केवल तभी जब पिछला निर्णय स्पष्ट रूप से गलत हो, उदाहरण के लिए, यदि यह निर्णय के जारी रहने की गलत धारणा पर आगे बढ़ा हो।

निरसित या समाप्त क़ानून, या किसी अन्य न्यायालय के निर्णय के विपरीत है जिसका पालन करने के लिए न्यायालय बाध्य है; न कि, केवल एक सुझाव पर, कि न्यायालय के कुछ या सभी सदस्य बाद में एक अलग निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं यदि मामला एकीकृत था। यह आगे देखा गया है कि अन्यथा कानून की व्याख्या में निरंतरता की कमी का बड़ा खतरा होगा। यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि निर्णय

एक समन्वय पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया समान या कम ताकत वाली बाद की पीठों पर बाध्यकारी है और एक ही ताकत की एक समन्वय पीठ दूसरे द्वारा रखे गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण नहीं ले सकती है। बेंच का समन्वय करें जब तक कि यह प्रति इनक्यूरियम नहीं दिखाया जाता है।

11. इस स्तर पर, स्थिरता पर इस न्यायालय के कुछ निर्णय,

निश्चितता और एकरूपता पर भी विचार किया जाना चाहिए, जो निम्नानुसार हैं:

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11.1 आंध्र प्रदेश सरकार बनाम में यह न्यायालय। ए. पी. जसवाल, (2001) 1 एस. सी. सी. 748 ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया हैः

" निरंतरता न्याय के प्रशासन की आधारशिला है। यह निरंतरता है जो प्रणाली में विश्वास पैदा करती है और यह निरंतरता अंतिमता के नियम के सम्मान के बिना कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। न्यायिक निर्णयों में एकरूपता प्राप्त करने के उद्देश्य से, न्यायालयों ने पूर्ववर्ती नियम, टकटकी निर्णय आदि का सिद्धांत विकसित किया है। ये नियम और सिद्धांत आधारित हैं।

सार्वजनिक नीति पर। '99

उपरोक्त अवलोकन समान रूप से हैं, यदि अधिक सार्थक नहीं हैं

और कर मामलों के लिए प्रासंगिक।

11.2 यह न्यायालय, एल. आर. द्वारा भारत संघ बनाम रघुबीर सिंह (मृत) में संविधान पीठ के फैसले में। आदि, (1989) 2 एस. सी. सी. 754 ने न्यायिक निर्णयों में निश्चितता और निरंतरता को बढ़ावा देने की योग्यता के सवाल पर कहा था कि यह व्यक्तियों को न्यायिक निर्णयों के परिणामों के बारे में आश्वस्त करने के अलावा कानून के जैविक विकास को सक्षम बनाता है।

लेन-देन उनके दैनिक मामलों का हिस्सा हैं, और इसलिए, निर्णय में कानूनी सिद्धांतों के स्पष्ट और सुसंगत प्रतिपादन की आवश्यकता है।

एक अदालत से।

11.3 के. अजीत बाबू और ओआरएस में। बनाम भारत संघ और अन्य। , (1997) 6 एस. सी. सी. 473, इस न्यायालय ने फिर से के पहलू पर जोर दिया

न्यायिक निर्णयों के क्षेत्र में निरंतरता, निश्चितता और एकरूपता क्योंकि यह एक पैटर्न निर्धारित करता है जिस पर भविष्य का आचरण आधारित हो सकता है। न्याय प्रशासन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक यह है कि समान/समान मामलों का निर्णय समान रूप से किया जाना चाहिए। यह पूर्ववर्ती सिद्धांत की नींव है, जिसके काफी लाभ और लाभ हैं। पूर्ववर्ती के नियम पर जोर, जो निश्चितता और निरंतरता को बढ़ावा देता है, सुंदरज के कन्यालाल भटिजा और ओआरएस में भी देखा गया था। बनाम कलेक्टर ठाणे, महाराष्ट्र और अन्य। , (1989) 3 एस. सी. सी. 396, इस बात पर जोर देते हुए कि कानून को अधिक पूर्वानुमेय बनाना न्यायालयों का कर्तव्य है। कानून को व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए, अन्यथा, वकील या, उस मामले के लिए, आम आदमी एक संकट में होंगे और खुद को सलाह देना या आचरण करना नहीं जानते होंगे। आम जनता को इस तरह के कानून का पालन करने या न करने की दुविधा में नहीं होना चाहिए।

11.4 मेडले फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त, दमन, (2011) 2 एस. सी. सी. 6014, इस न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या "चिकित्सकों के नमूने" मेसर्स हैं।

कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर विभाग [एम. आर. शाह, जे.]

यह मानते हुए कि उन्हें औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत बेचे जाने से प्रतिबंधित किया गया है, उत्पाद शुल्क योग्य सामान। यह देखते हुए कि चूंकि इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि डॉक्टरों को आपूर्ति की जाने वाली चिकित्सा आपूर्ति उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी है, इस मामले में शामिल मुद्दा अब समग्र नहीं था। वामन में संवैधानिक पीठ के फैसले पर भरोसा करना

राव वी. भारत संघ, (1981) 2 एस. सी. सी. 362, यह आयोजित किया गया थाः

43. यह तय कानून है कि इस न्यायालय को पहले के एक निर्णय का पालन करना चाहिए जो समय में परिवर्तनों का सामना कर चुका है, भले ही लिया गया दृष्टिकोण तर्कसंगत क्यों न हो। यह वामन राव बनाम में एक संविधान पीठ द्वारा आयोजित किया गया था। भारत संघ [(1981) 2 एससीसी 362]: (एस. सी. सी पी. 393, पैरा 40)

पूर्ववर्ती और इसका सहारा लेना अनावश्यक होगा टकटकी निर्णय का सिद्धांत। इसलिए, यह देखने के निर्णय के नियम को लागू करने के लिए पर्याप्त है कि एक निश्चित निर्णय उस प्रश्न पर किया गया था जो उत्पन्न हुआ था या बहस की गई थी, चाहे निर्णय किस कारण से हो या निर्णय का आधार क्या हो।

दूसरे शब्दों में, टकटकी लगाने के निर्णय के नियम को लागू करने के उद्देश्य से, यह पूछताछ या निर्धारित करना अनावश्यक है कि पहले के निर्णय का क्या तर्क था जिसे काम करने वाला कहा जाता है।

एक टकटकी निर्णय के रूप में "।

11.5 सौराष्ट्र सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और

एक और बनाम। भारत संघ और अन्य, (2001) 1 एस. सी. सी. 91 इस न्यायालय ने कानून पर कर लगाने में प्रत्यायोजित कानून के सवाल पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया क्योंकि विचाराधीन कानून, यानी खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 को पेश करने में विधायिका के अधिकार पर संदेह नहीं किया जा सकता था और किसी भी स्थिति में, एक दशक से अधिक समय तक कानून का एक तय प्रस्ताव था। टकटकी निर्णय के सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम में निर्णय पर पुनर्विचार करने की याचिका को खारिज कर दिया। महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स लिमिटेड, 1995 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 642 निम्नलिखित शब्दों मेंः

" 35. उपरोक्त के मद्देनजर, हम इसे समीचीन महसूस करते हैं रिकॉर्ड करें कि उपरोक्त सिद्धांत का सहारा लेना एक अनिवार्य आवश्यकता होगी, ताकि अनिश्चितता और भ्रम से बचा जा सके, [2022] 17 एस. सी. आर.

क्योंकि कानून की मूल विशेषता इसकी निश्चितता है और इससे किसी भी तरह के विचलन की स्थिति में समाज पूरी तरह से भ्रम में होगा और जिसका परिणामी प्रभाव कानूनी अराजकता और न्यायिक अनुशासनहीनता होगी-एक ऐसी स्थिति जिससे हमेशा बचा जाना चाहिए। केंद्रीय विधानमंडल ने वर्ष 1957 में कानून (एम. एम. आर. डी. अधिनियम) पेश किया और इसके आधार पर कई सैकड़ों और हजारों मामलों को पहले ही निपटा लिया गया है और एक विरोधी कानून की घोषणा का प्रभाव राजस्व न्यायशास्त्र की मूल बातों को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला होगा। यह सच है कि इस सिद्धांत की कोई वैधानिक मंजूरी नहीं है, लेकिन यह सुविधा, समीचीनता, विवेक और सबसे बढ़कर सार्वजनिक नीति का नियम है। यह सेवा करने के लिए इसके उल्लंघन के बजाय इसके पालन में देखा जाना है

लोग और न्याय के उद्देश्यों का पालन करें।

12. इंद्र में संविधान पीठ ने क्या कहा था

साहनी बनाम भारत संघ, 1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217 और केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड। बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे उत्तर, अहमदाबाद, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1636, टकटकी निर्णय के सिद्धांत पर हमें स्पष्ट रूप से बांधता है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इस पर पहले कभी संदेह नहीं किया गया है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उक्त निर्णय का इस न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा लगातार पालन किया गया है। इसलिए, यदि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार करने और/या समीक्षा करने के लिए राजस्व की ओर से की गई प्रार्थना को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस मामले में, यह कई अन्य निर्धारकों को प्रभावित करेगा जिनके पक्ष में निर्णय पहले ही लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के आधार पर और/या उसके बाद लिए जा चुके हैं और यह उस कानून को अस्थिर कर सकता है, जिसका 2015 से लगातार पालन किया जा रहा है। विरोधाभासी आदेशों की सभी संभावनाएँ हैं। इसलिए, एकटक देखने के निर्णय के सिद्धांत पर, हमारा दृढ़ विचार है कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर न तो पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, न ही इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जैसा कि अनुरोध किया गया है, यानी लगभग सात साल की अवधि के बाद और जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, जब इस आधार पर निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध करने वाला कोई समीक्षा आवेदन दायर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, जो अब इस न्यायालय के समक्ष प्रचार किया गया है।

13. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलों में से एक मेसर्स द्वारा दायर 2014 की सिविल अपील संख्या 6523 है। जी. डी. बिल्डर्स इसके खिलाफ हैं जी. डी. बिल्डर्स बनाम के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय।

एम/एस। कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर विभाग [एम. आर. शाह, जे.]

भारत संघ ने (2013) 32 एसटीआर 673 (दिल्ली) में सूचना दी। यह ध्यान देने योग्य है कि जी. डी. के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में इस अदालत ने बिल्डरों (सुप्रा) को विशेष रूप से खारिज कर दिया है। जी. डी. बिल्डर्स (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर इस न्यायालय ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के मामले में विचार किया है।

(ऊपर) पैराग्राफ 28,29,30,32,33,38 और 39 में और अंततः, इस न्यायालय ने राय दी कि के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय जी. डी. बिल्डर्स (ऊपर) वास्तव में निर्णयों की एक लंबी कतार के विपरीत है। यह आगे विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि दिल्ली का निर्णय

जी. डी. बिल्डर्स (उपरोक्त) के मामले में उच्च न्यायालय अपने इस निष्कर्ष में पूरी तरह से गलत है कि वित्त अधिनियम, 1994 में अविभाज्य कार्य अनुबंधों पर सेवा कर लगाने और मूल्यांकन के लिए शुल्क और तंत्र दोनों शामिल हैं। यह बताया गया है कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में मामलों के समूह का निर्णय करते समय, अपील के कागजात

मेसर्स द्वारा दाखिल किया गया। 2014 की सिविल अपील संख्या 6523 वाले जी. डी. बिल्डरों को भी बुलाया गया और जी. डी. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को बुलाया गया।

बिल्डरों की भी आवाज सुनी गई। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि 2014 की सिविल अपील संख्या 6523 मेसर्स द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जी. डी. बिल्डर्स का विशेष रूप से निपटारा नहीं किया गया है। इसलिए, एक बार जब जी. डी. बिल्डर्स (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय, जो 2014 की सिविल अपील संख्या 6523 का विषय है, पूरी तरह से गलत माना गया है, तो मेसर्स द्वारा दायर 2014 की सिविल अपील संख्या 6523। जी. डी. बिल्डरों को अनुमति दी जानी चाहिए और निर्णय और आदेश द्वारा पारित किया जाना चाहिए

13.1 अब, जहां तक 2014 की सिविल अपील संख्या 6525,2014 की सिविल अपील संख्या 6526 और 2022 की सिविल अपील संख्या 2666 का संबंध है, उच्च न्यायालय ने जी. डी. बिल्डर्स के मामले में अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दायर उक्त रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

(ऊपर)। एक बार जब जी. डी. बिल्डर्स (ऊपर) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय द्वारा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (ऊपर) के मामले में पूरी तरह से गलत माना जाता है, तो सिविल अपील संख्या 6525

13.2 जहाँ तक सिविल अपील सं। 8673-8684 निर्धारिती द्वारा वरीयता प्राप्त वर्ष 2013-मेसर्स। टोटल एनवायरनमेंट बिल्डिंग सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड हैं। संबंधित, ये कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा रिट अपील संख्या में पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ हैं। 3481-3492 2009 का [2022] 17 एस. सी. आर.

जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त रिट अपीलों को खारिज कर दिया है और उन रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है जिसमें अपीलार्थी-निर्धारिती ने वैधानिक अपील के माध्यम से उपलब्ध वैकल्पिक उपचार के आधार पर सेवा कर लगाने वाले मूल्यांकन आदेशों को चुनौती दी थी। हालाँकि, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय को देखते हुए, निर्धारिती सेवा का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अविभाज्य/समग्र कार्य अनुबंधों पर प्रावधान के संशोधन की तारीख तक कर और इसलिए, उक्त अपीलों को भी अनुमति दी जानी चाहिए और सेवा कर लगाने वाले निर्धारण आदेशों को अलग रखा जाना चाहिए।

13.3 लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय के बाद, यह विचार रखते हुए कि

वित्त अधिनियम, 2007 से पहले की अवधि में, सेवा कर अविभाज्य/समग्र कार्य अनुबंधों, सिविल अपील सं. 4547-4548 गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न 2014 की सिविल अपील संख्या 2667 और 2022 की सिविल अपील संख्या 2668 और संबंधित कर निर्धारकों के खिलाफ पारित सी. ई. एस. टी. ए. टी. के संबंधित निर्णयों को भी अनुमति दी जानी है।

13.4 अब, जहाँ तक सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ राजस्व द्वारा 2010 की सिविल अपील संख्या 6792 को प्राथमिकता दी गई है,

अपील सं. में पश्चिम क्षेत्रीय पीठ। 2006 का एसटी/275 संबंधित है, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय को देखते हुए, इसे खारिज किया जाना चाहिए। 14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, सिविल अपील सं। 8673-8684 2013 का सिविल अपील सं. 2014 का 6525, सिविल

2014 की अपील सं. 6523,2014 की सिविल अपील सं. 6526,2022 की सिविल अपील सं. 2666, सिविल अपील सं. 4547-4548 2014 की सिविल अपील संख्या 2022 की 2667 और सिविल अपील संख्या 2022 की 2668 को इसके द्वारा अनुमति दी जाती है और संबंधित उच्च न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों को इस दृष्टिकोण से पारित किया जाता है कि वित्त अधिनियम, 2007 से पहले की अवधि के लिए, संबंधित निर्धारिती अविभाज्य/समग्र कार्य अनुबंधों पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं/थे, जिन्हें इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। नतीजतन, 2007 से पहले की अवधि के लिए अविभाज्य/समग्र कार्य अनुबंधों पर संबंधित कर निर्धारकों पर सेवा कर लगाने वाले संबंधित मूल्यांकन आदेशों/आदेशों को रद्द कर दिया जाता है।

और अलग रख दें। आवश्यक परिणाम सामने आएंगे।

2010 की सिविल अपील सं. 6792 इसके द्वारा खारिज की जाती है।

एम/एस। कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर विभाग [एम. आर. शाह, जे.]

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, कोई आदेश नहीं होगा।

लागतों के बारे में।

ध्यान दें कि मुझे पूरक को पढ़ने का लाभ मिला है

मेरी विद्वान बहन, बी. वी. नागरत्ना, जे. द्वारा प्रस्तावित निर्णय और आदेश इस प्रकार, उनकी लेडीशिप वर्तमान निर्णय में मेरे द्वारा लिए गए निष्कर्षों से सहमत है।

और आदेश, हालांकि, निष्कर्ष के लिए अतिरिक्त कारण देना उचित समझा है और इसके साथ निपटा है
सुश्री माधवी दीवान द्वारा योग्यता के आधार पर प्रस्तुतियाँ। हालाँकि, ऊपर बताए गए कारणों के लिए क्योंकि यह न्यायालय सुश्री दीवान द्वारा की गई प्रार्थना से सहमत नहीं है, ए. एस. जी. ने सीखा कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (ऊपर) के मामले में फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए और स्थिरता के सिद्धांत पर, मैं गुण-दोष पर आगे विचार-विमर्श नहीं करना उचित समझता हूं, जैसा कि ऊपर देखा गया है, इसमें शामिल मुद्दा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के फैसले में पूरी तरह से शामिल है, जिसका बाद में इस न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा भी पालन किया गया है।

बी. वी. नागरत्ना

मुझे उनके लॉर्डशिप एम. आर. शाह जे. द्वारा प्रस्तावित निर्णय को पढ़ने का लाभ मिला है, जबकि मैं उन निष्कर्षों से सहमत हूं जिन पर पहुंचा गया था

उनके द्वारा, मैं निष्कर्षों के कारणों को बढ़ाना चाहता हूं।

(2) जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इन अपीलों में मुद्दा संशोधन से पहले समग्र कार्य अनुबंध पर सेवा कर लगाने से संबंधित है

वित्त अधिनियम, 1994 को वर्ष 2007 में बनाया गया था जिसके द्वारा धारा 65 (105) (ज़ज़ा) पेश की गई थी जो अभिव्यक्ति "कार्य" की परिभाषा देती है।

अनुबंध "। (3) जबकि विचाराधीन मामलों में से प्रत्येक का विवरण देना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह प्रस्तावित निर्णय में किया गया है।

एम. आर. शाह जे. द्वारा, हालांकि प्रिंसिपल को जवाब देना आवश्यक है

राजस्व की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान ने विस्तृत तर्क के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, केरल बनाम लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड [(2016) 1 एस. सी. सी. 170] (इसके बाद "लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड" के रूप में संदर्भित) में इस अदालत के फैसले के लिए [2022] 17 एस. सी. आर. की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सेवा कर

वर्ष 2007 में वित्त अधिनियम, 1994 में किए गए संशोधन से पहले समग्र कार्य अनुबंध देय नहीं था, जबकि उनके अनुसार, वास्तव में, यह उससे पहले भी देय था और इसमें किया गया संशोधन

वित्त अधिनियम, 1994, वर्ष 2007 में धारा 65 (105) (ज़ज़ा) को शामिल करके केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है। इसलिए, लार्सन एंड टुब्रो में निर्णय

(5) उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार करने से पहले, इसके विकास, अर्थ और विषय-वस्तु पर चर्चा करना उपयोगी होगा। बिक्री कर कानून के संदर्भ में और साथ ही सेवा कर व्यवस्था के तहत अभिव्यक्ति कार्य अनुबंध। यह वित्त अधिनियम, 1994 में 1 जून, 2007 से कार्य अनुबंध की परिभाषा को शामिल करने के संबंध में है, जो किसी कार्य के सेवा पहलू पर सेवा कर लगाने का प्रयास करता है।

अनुबंध। इस अभ्यास का कारण यह है कि काम द्वारा अनुबंध किया जाता है

स्वयं कर योग्य नहीं है। संशोधन द्वारा परिभाषित एक कार्य अनुबंध के दो घटक होते हैं, अर्थात् एक बिक्री घटक और एक सेवा घटक। यह तभी होता है जब दोनों घटक संतुष्ट होते हैं और सह-अस्तित्व में होते हैं कि एक अनुबंध परिभाषित कार्य अनुबंध बन जाता है। इसके अलावा, केवल कार्य अनुबंध के सेवा घटक पर ही 1 जून, 2007 से सेवा कर लगाया जा सकता है। जहाँ तक कार्य अनुबंध में बिक्री घटक का संबंध है, संबंधित राज्यों के बिक्री कर कानून लागू होंगे। यह भी बताना आवश्यक है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (सी. जी. एस. टी.), 2017 के लागू होने के बाद यह मामला उस अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसलिए, तत्काल मामले में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का जवाब देने के लिए न्यायिक पूर्ववर्ती से कार्य अनुबंध का अर्थ एकत्र करना आवश्यक है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) (ज़ज़ा) को वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित किया गया है, जो कार्य अनुबंध को परिभाषित करता है।

संदर्भ की आसानी के लिए नीचे दिया गया हैः

" ' 'कार्य अनुबंध' का अर्थ है एक अनुबंध जिसमें, एस. टोटल एनवायरनमेंट बिल्डिंग सिस्टम पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक करों का केंद्र शासित प्रदेश निगम [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

ऐसे माल के निष्पादन में शामिल माल में संपत्ति का हस्तांतरण अनुबंध माल की बिक्री के रूप में कर के लिए देय है, और

((ii) ऐसा अनुबंध पूरा करने के उद्देश्यों के लिए है,

(क) संयंत्र, मशीनरी का निर्माण, चालू या स्थापना,

उपकरण या संरचनाएँ, चाहे पूर्व निर्मित हों या अन्यथा, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्थापना, नलसाजी, नाली

तरल पदार्थ, हीटिंग, वेंटिलेशन के परिवहन के लिए बिछाना या अन्य प्रतिष्ठान

या वातानुकूलन जिसमें संबंधित पाइप कार्य, नलिका कार्य और चादर शामिल हैं। धातु कार्य, तापीय इन्सुलेशन, ध्वनि इन्सुलेशन, अग्नि प्रूफिंग या

वाटर प्रूफिंग, लिफ्ट और एस्केलेटर, आग से बचने की सीढ़ियाँ या लिफ्ट; या

(ख) एक नए भवन या एक नागरिक संरचना या एक भाग का निर्माण।

मुख्य रूप से इसके प्रयोजनों के लिए, या एक पाइपलाइन या नाली का

वाणिज्य या उद्योग; या

(ग) एक नए आवासीय परिसर या उसके एक हिस्से का निर्माण; या

(घ) सेवाओं को पूरा करना और समाप्त करना, मरम्मत, परिवर्तन, नवीनीकरण

(ख) और (ग) के संबंध में या ऐसी ही सेवाओं की बहाली; या

(ई) इंजीनियरिंग, खरीद और सहित महत्वपूर्ण परियोजनाएं

निर्माण या चालू (ई. पी. सी.) परियोजनाएं।

उपरोक्त परिभाषा को पढ़ने से पता चलता है कि दो

कार्य अनुबंध पर सेवा कर लगाने से पहले साइटों को संतुष्ट किया जाना चाहिए।

बाजी मार ली। दूसरे शब्दों में, एक अनुबंध कार्य अनुबंध होने के लिए आवश्यक है।वीः

" (i) ऐसे माल के निष्पादन में शामिल माल में संपत्ति का हस्तांतरण

अनुबंध माल की बिक्री के रूप में कर के लिए देय है, और

((ii) ऐसा अनुबंध पूरा करने के उद्देश्यों के लिए है,

—

उपकरण या संरचनाएँ, चाहे पूर्व निर्मित हों या अन्यथा, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्थापना, नलसाजी, नाली

तरल पदार्थ, हीटिंग, वेंटिलेशन के परिवहन के लिए बिछाना या अन्य प्रतिष्ठान

या वातानुकूलन जिसमें संबंधित पाइप कार्य, नलिका कार्य और चादर शामिल हैं। धातु कार्य, तापीय इन्सुलेशन, ध्वनि इन्सुलेशन, अग्नि प्रूफिंग या

वाटर प्रूफिंग, लिफ्ट और एस्केलेटर, आग से बचने की सीढ़ियाँ या

(ख) एक नए भवन या एक नागरिक संरचना या एक भाग का निर्माण।

मुख्य रूप से इसके प्रयोजनों के लिए, या एक पाइपलाइन या नाली का

वाणिज्य या उद्योग; या

(ग) एक नए आवासीय परिसर या उसके एक हिस्से का निर्माण; या

(घ) सेवाओं को पूरा करना और समाप्त करना, मरम्मत, परिवर्तन, नवीनीकरण

(ख) और (ग) के संबंध में या ऐसी ही सेवाओं की बहाली; या

(ई) इंजीनियरिंग, खरीद और सहित महत्वपूर्ण परियोजनाएं

निर्माण या चालू (ई. पी. सी.) परियोजनाएं।

इस प्रकार, कार्य अनुबंध के दो आवश्यक घटक हैंः सबसे पहले, ऐसे अनुबंधों के निष्पादन में शामिल वस्तुओं की बिक्री जो आकर्षित करेगी।

बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर (वैट), जैसा भी मामला हो, यानी वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के प्रवर्तन से पहले और दूसरा,

सेवा घटक जो कार्य अनुबंध की परिभाषा के खंड (ii) (a)-(e) में निर्दिष्ट है जो प्रावधानों के तहत सेवा कर को आकर्षित करेगा।

वित्त अधिनियम, 1994 को वर्ष 2007 में संशोधित किया गया। यदि उपरोक्त दोनों आवश्यकताएं मौजूद हैं, तो कार्य अनुबंध पर सेवा कर लागू होता है। सेवा घटक। यह वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड (जेडजेडजेडज

कार्य अनुबंध की परिभाषा के खंड (i) में "माल में संपत्ति का हस्तांतरण" अभिव्यक्ति के दायरे और दायरे को समझना आवश्यक है।

कार्य अनुबंध की अवधारणा के विकास को निम्नानुसार नोट किया गया है क्योंकि यह ऐसे अनुबंध के सेवा घटक पर है कि सेवा कर है लेविएबल। बिक्री कर कानून के तहत कार्य अनुबंध पर निर्णयों का संदर्भ प्रासंगिक होगा।

एस. कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक करों का केंद्र शासित प्रदेश निगम [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

ए. संविधान के 46 वें संशोधन से पहले, कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री कर लगाने को गैनन डंकर्ले (1)-स्टेट ऑफ मद्रास बनाम गैनन डंकर्ले एंड कंपनी लिमिटेड (ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 560) में असंवैधानिक माना गया था। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि एक भवन अनुबंध में जहां पक्षों के बीच समझौता था कि ठेकेदार को समझौते में निहित विनिर्देशों के अनुसार भवन का निर्माण करना चाहिए और विचार में, उसमें प्रदान किए गए भुगतान को प्राप्त करना चाहिए, न तो निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री को बेचने का अनुबंध था और न ही उसमें पारित संपत्ति को चल के रूप में। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भवन अनुबंध में जो एक (संपूर्ण और अविभाज्य) था, वस्तुओं की कोई बिक्री नहीं थी और यह संबंधित प्रांतीय राज्य विधानमंडल (मद्रास विधानमंडल) की क्षमता के भीतर नहीं था - ऐसे अनुबंध में उपयोग की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति पर कर लगाना जिसे बिक्री माना जाए। नतीजतन, यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक भवन अनुबंध में, जो पूरी तरह से अविभाज्य था, वस्तुओं की कोई बिक्री नहीं थी और इस तरह के अनुबंध में उपयोग की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति पर कर लगाना प्रांतीय राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर नहीं था, जिसे बिक्री माना जाता था। यह इस आधार पर था कि कार्य अनुबंध एक समग्र अनुबंध था जो अविभाज्य और अविभाज्य है।

कार्यों का अविभाज्य अनुबंध राज्यों को दिया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 366 में खंड (29-ए) जोड़ा गया। संविधान। संदर्भ की आसानी के लिए, इसे नीचे दिया गया है:

" अनुच्छेद 366। परिभाषाएँ। इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के अर्थ क्रमशः उन्हें दिए गए हैं, कहने का मतलब है -

[(29 - क) "वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर" में शामिल हैं -

(अ)

एक्स-एक्स-एक्स-एक्स

(ख) माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) जो किसी वस्तु के निष्पादन में शामिल है।

कार्य अनुबंध; "[2022] 17 एस. सी. आर.

सी. इन गैनन डंकरली (II)-गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम। राजस्थान राज्य [1993 (1) एस. सी. सी. 364], इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कानूनी कल्पना के प्रभाव को समझाया।

संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के उपखंड (बी) द्वारा प्रस्तुत किया गया। निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे -

अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के उपखंड (बी) के संचालन की रूपरेखाः क) कि खंड 29-क में कानूनी कल्पना के आधार पर, यहां तक कि एक अविभाज्य कार्य अनुबंध में भी, वस्तुओं की एक मानित बिक्री होती है और ऐसी बिक्री में 'वस्तुओं की बिक्री' की सभी घटनाएं होती हैं।

ख) कि किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल का मूल्य पूरे कार्य अनुबंध के मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है और उसमें से शुल्क की कटौती की जा सकती है।

श्रम और सेवाओं के लिए।

ग) कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में बेचे गए माल के मूल्य का निर्धारण करने में श्रम और सेवाओं के प्रति निम्नलिखित शुल्कों को बाहर रखा जाना चाहिएः

(i) कार्यों के निष्पादन के लिए श्रम शुल्क; (ख) उप-ठेकेदार को श्रम और सेवाओं के लिए भुगतान की गई राशि।

vi) ठेकेदार की स्थापना की लागत श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है। vii) श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित अन्य समान खर्च;

viii) ठेकेदार द्वारा अर्जित लाभ श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है।

घ. इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 366 में खंड (29 ए) के संशोधन और सम्मिलन से पहले मौजूद शासन के तहत, एक विशिष्ट कार्य अनुबंध में वस्तुओं की बिक्री शामिल नहीं होगी और कोई एस. कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. शामिल नहीं होगी।

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक करों का केंद्र शासित प्रदेश निगम [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

ऐसे कार्यों के अनुबंध पर बिक्री कर लगाया जाता था। हालांकि,

बाद में, संविधान (छियालिसवां संशोधन) अधिनियम, 1982 के माध्यम से, खंड (29-ए) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में जोड़ा गया, जिसमें एक समावेशी परिभाषा प्रदान की गई -

संविधान के अनुच्छेद 286 पर इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ [(1989) 2 एस. सी. सी. 645] में विचार किया था। इसमें, उपरोक्त प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, संविधान पीठ ने एक समग्र प्रावधान की अनूठी विशेषताओं को समझाया। कार्य और सामग्रियों से संबंधित अनुबंध और कार्यों के संबंध में राज्यों की कर लगाने की शक्ति से संबंधित प्रावधानों के अर्थ, प्रभाव और आयाम के साथ-साथ रूपरेखा पर भी व्याख्या की गई

विशेष रूप से निर्णय के पैराग्राफ 38-40 में अनुबंध।

च. उक्त चर्चा के आलोक में, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (29ए) के उपखंड (ए) से उपखंड (एफ) में किसी भी माल का हस्तांतरण एक उपबंध के रूप में माना जाता है।

अर्थात, एक मानित बिक्री। हालाँकि, इस न्यायालय ने आगाह किया कि भारत के संविधान में 46वें संशोधन के बाद बिक्री कर लगाने को अभी भी संविधान के अनुच्छेद 286 और 269 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करना होगा। जी. बाद में एपी राज्य बनाम में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ। कोन एलिवेटर्स [(2005) 3 एस. सी. सी. 389] ने यह विचार रखा था कि लिफ्टों के निर्माण, आपूर्ति और स्थापना के लिए एक अनुबंध एक "बिक्री" है और इसलिए विचार के पूरे मूल्य पर बिक्री कर कानून के तहत कर लगाया जा सकता है। हालाँकि, बाद में इस मामले को [2022] 17 एस. सी. आर. को भेज दिया गया।

इस मुद्दे की नए सिरे से समीक्षा करने के लिए एक बड़ी पीठ। इस अदालत ने मामले की फिर से सुनवाई करते हुए कोन एलिवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इसे संदर्भित किया।

लिमिटेड बनाम। तमिलनाडु राज्य [(2014) 7 एस. सी. सी. 1] ने पाया कि लिफ्ट के निर्माण, आपूर्ति और स्थापना के लिए एक अनुबंध में स्थापना दायित्व केवल आकस्मिक नहीं है, बल्कि पूरे अनुबंध का एक गहरा हिस्सा था। कि विभिन्न घटक थे

एक साथ इकट्ठा किया और इमारत के लिए एक स्थायी स्थिरता के रूप में साइट पर स्थापित किया। माल, कौशल और श्रम तत्व एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और अनुबंध नहीं है।

विभाज्य। इसलिए, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एक अनुबंध के लिए

लिफ्टों का निर्माण, आपूर्ति और स्थापना एक कार्य अनुबंध था। यह भी देखा गया कि 46 वें संशोधन के बाद भी, यदि अनुच्छेद 366 (29 ए) (बी) को एक आवश्यक सहवर्ती के रूप में लागू किया जाना है, तो यह दिखाया जाना चाहिए कि अनुबंध की शर्तों से कोई निष्कर्ष निकलेगा।

कि यह एक 'कार्य अनुबंध' है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई अनुबंध पक्षों के बीच सहमत शर्तों के आधार पर 'कार्य अनुबंध' साबित नहीं होता है, तब तक संविधान के अनुच्छेद 366 (29 ए) (बी) का आह्वान नहीं किया जा सकता है। कि उन परिस्थितियों में जब नहीं

इस आशय का निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दिया गया अनुबंध एक कार्य अनुबंध है, इसे प्रासंगिक बिक्री कर अधिनियमों के प्रावधानों को आकर्षित करते हुए 'बिक्री' के रूप में घोषित करना होगा।

एच. भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम के मामले में। भारत संघ [2006] 145 एस. टी. सी. 91 (एस. सी.), इस अदालत के समक्ष निर्णय के लिए जो प्रश्न आया था, वह उस लेन-देन की प्रकृति के संबंध में था जिसके द्वारा मोबाइल फोन कनेक्शन प्राप्त किए गए थे, कि क्या यह बिक्री है या सेवा या दोनों। इस न्यायालय ने कहा कि एक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना जो संचरण द्वारा संचालित होता है

विद्युत चुम्बकीय तरंगों या रेडियो आवृत्तियों की संख्या संविधान के अनुच्छेद 366 (29 ए) के उद्देश्य के लिए 'वस्तु' नहीं है और दूरसंचार में सामान सेवा प्रदाता द्वारा आपूर्ति किए गए हैंडसेट तक सीमित हैं और जहां तक सिम कार्ड का संबंध है, इस मुद्दे को मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा निर्धारण के लिए छोड़ दिया गया था।

I. इसके बाद, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और एक अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य और एक अन्य [(2014) (1) एस. सी. सी. 708], इस न्यायालय ने पहले के निर्णयों से कार्य अनुबंध के अर्थ को समझा और पैरा 72 में निम्नानुसार राय दीः

" 72. हमारी राय में, अनुच्छेद 366 (29 ए) (बी) में "कार्य अनुबंध" शब्द काफी व्यापक है और इसे किसी विशेष पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. तक सीमित नहीं रखा जा सकता है।

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक करों का वाई-कॉमर्स [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

शब्द या किसी विशेष रूप की समझ। यह शब्द

इसमें एक विस्तृत श्रृंखला और अनुबंध की कई किस्में शामिल हैं।

संसद में "कार्य अनुबंध" का इतना व्यापक अर्थ था

छियालिसवें संशोधन के समय का दृश्य। का उद्देश्य

अनुच्छेद 366 में खंड (29-ए) को शामिल करने का उद्देश्य था

"वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर" अभिव्यक्ति का दायरा

और गैनन डंकरले (1) पर विजय प्राप्त की

मद्रास बनाम. गैनन डंकरली एंड कंपनी (मद्रास) लिमिटेड, आकाशवाणी

1958 एससी 560: 1959 एससीआर 379]। इस प्रकार देखा गया, भले ही किसी अनुबंध में हो,

वस्तुओं और सामग्रियों की आपूर्ति के दायित्वों के अलावा और श्रम और सेवाओं का निष्पादन, कुछ अतिरिक्त दायित्व

लागू किए जाते हैं, इस तरह का अनुबंध कार्य अनुबंध होना बंद नहीं करता है।

अनुबंध में अतिरिक्त दायित्वों से परिवर्तन नहीं होगा

अनुबंध की प्रकृति जब तक अनुबंध एक अनुबंध के लिए प्रदान करता है

कार्यों के लिए और कार्यों के प्राथमिक विवरण को संतुष्ट करता है

अनुबंध। एक बार कार्यों की विशेषताएँ या तत्व

दायित्व, इस तरह के अनुबंध शब्द "कार्य" द्वारा कवर किया जाएगा अनुबंध "। अनुच्छेद 366 (29-ए) (बी) में कुछ भी कार्यकाल को सीमित नहीं करता है।

" केवल श्रम और सेवा के लिए अनुबंध करने के लिए कार्य अनुबंध। द. महाराष्ट्र के विद्वान महाधिवक्ता अपनी बात में सही थे

श्रम और सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक अनुबंध के लिए लेकिन एक अनुबंध है कुछ "कार्यों" को शुरू करने या अस्तित्व में लाने के लिए। हम.

श्री के. एन. भट के निवेदन से भी सहमत हैं।

इसके अंतर्गत सभी प्रकार की कृतियाँ अनुबंधित होती हैं और प्रतिबंधित नहीं होती हैं। श्रम और सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनुबंध की एक प्रजाति को

अकेले। संसद के पास सभी प्रकार के कार्य अनुबंध थे जब अनुच्छेद 366 में खंड (29-ए) जोड़ा गया था।

(मेरे द्वारा रेखांकित)

इसके अलावा, काम (या सेवा) के लिए अनुबंध के बीच का अंतर

घ (माल की) बिक्री के लिए एक अनुबंध पर विचार किया गया था और

बिक्री कर आयुक्त बनाम पुरुषोत्तम प्रेमजी1970) 2 एस. सी. सी. 287], यह देखा गया कि प्राथमिक अंतर

काम (या सेवा) के लिए अनुबंध और बिक्री के लिए अनुबंध के बीच

माल यह है कि, पूर्व में, प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति में है

[2022] 17 एस. सी. आर. के रूप में उत्पादित वस्तु में कोई संपत्ति नहीं है।

संपूर्ण, इसके बावजूद कि उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली एक हिस्सा या पूरी सामग्री भी उसकी संपत्ति हो सकती है। बिक्री के लिए अनुबंध के मामले में, समग्र रूप से उत्पादित वस्तु का उस पक्ष की एकमात्र संपत्ति के रूप में व्यक्तिगत अस्तित्व होता है जिसने वितरण से पहले किसी समय इसका उत्पादन किया था, और उसमें संपत्ति केवल दूसरे पक्ष से संबंधित अनुबंध के तहत एक मूल्य पर पारित होती है। यह भी देखा गया कि काम के लिए अनुबंध और बिक्री के लिए अनुबंध में अंतर करने के लिए जिन कारकों पर प्रकाश डाला गया है, वे प्रासंगिक हैं लेकिन संपूर्ण नहीं हैं।

के. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के पैराग्राफ 89 में और

एक अन्य (ऊपर) इस न्यायालय ने कहा कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में बेचे गए माल पर कर लगाने को बनाए रखने के लिए तीन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्:

एक कार्य अनुबंध होना चाहिए, (ii) माल कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल होना चाहिए, और (iii) में संपत्ति उन वस्तुओं को या तो माल के रूप में या किसी अन्य रूप में किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। एक भवन अनुबंध या निर्माण करने के लिए किसी भी अनुबंध में, उपरोक्त तीन चीजें पूरी तरह से पूरी होती हैं। एक फ्लैट बनाने के अनुबंध में आवश्यक रूप से माल तत्व की बिक्री होगी। कार्य अनुबंध में निर्माण अनुबंध भी शामिल हैं और इसलिए, यह कहा जा सकता है कि निर्माण अनुबंध कार्यों की एक प्रजाति है।

अनुबंध।

एल. पहलू सिद्धांत के संदर्भ में, यह माना गया था कि हालांकि राज्य विधानमंडल के पास सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति नहीं है

जिसमें माल के मूल्य में ऐसी सेवा की लागत शामिल है लेकिन वह एक समग्र अनुबंध में कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल तत्व की बिक्री पर कर लगाने के लिए राज्य को विचलित नहीं करता है जैसे

भवन के निर्माण और उसमें फ्लैट की बिक्री के लिए अनुबंध। उपरोक्त चर्चा के आलोक में, निर्णय के पैराग्राफ 97 में कानूनी प्रस्ताव का सारांश दिया गया था।

सेवा कर ऑक्र्स अनुबंध के संबंध में प्रथा का विकास:(6) भारत में सेवा कर को वित्त अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था, सेवा कर को संसद द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की अवशिष्ट प्रविष्टि संख्या 97 के तहत संविधान के अनुच्छेद 248 के साथ पढ़ा जाता है। सेवा कर में निम्नलिखित बुनियादी योजना का प्रावधान है:

(i) अधिनियम की धारा 65 कर योग्य सेवाओं के लिए प्रावधान करती है; एस. कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक करों का केंद्र शासित प्रदेश निगम [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

(ii) अधिनियम की धारा 66 में "सेवा कर के लिए जिम्मेदार व्यक्ति" के रूप में नामित व्यक्ति द्वारा सेवा कर के प्रभार का प्रावधान है।

((iii) अधिनियम की धारा 67 में कर योग्य सेवा के मूल्य का प्रावधान है जो 5 प्रतिशत सेवा कर के अधीन है; और ((iv) अधिनियम की धारा 68 में संग्रह का प्रावधान है और

सेवा कर के लिए भुगतान तंत्र।

पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, यह भी आवश्यक है कि कार्य अनुबंध में बताए गए अनुबंधों पर सेवा कर लगाया जाए, दोनों कार्य अनुबंध पर कर लगाने के लिए प्रेस चार्जिंग प्रावधान की शुरुआत से पहले और बाद में, हालांकि यह वित्त अधिनियम, 1994 के लिए 1 जून, 2007 के कार्य अनुबंध की परिभाषा से पहले की अवधि से संबंधित है। यह संदर्भ में है किविंग निर्णयः

क) तमिलनाडु में कल्याण मंडपम एसोसिएशन बनाम संघ

भारत के [(2004) 5 एस. सी. सी. 632] इस न्यायालय ने इस प्रश्न की जांच की कि क्या कल्याण मंडपों पर कराधान को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 और 67 के कर दायरे में शामिल करना, जैसा कि वर्ष 1996 में संशोधित किया गया था, असंवैधानिक था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मंडप-रक्षकों और बाहरी भोजन-प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर वास्तविक रूप से सेवाओं पर कर है, न कि वस्तुओं की बिक्री या किराए पर लेने की गतिविधियों पर कर। इस सेवा कर की प्रकृति और चरित्र इस तथ्य से स्पष्ट है कि लेनदेन

मंडप-रक्षक और उसके ग्राहक के बीच निश्चित रूप से माल की बिक्री या किराया-खरीद की प्रकृति नहीं है। यह अनिवार्य रूप से

सेवा प्रदान करना। प्रदान की जाने वाली सेवा का तरीका

इस तरह के में भोजन प्रदान करने पर प्रधानता ग्रहण करता है

ऐसी स्थितियाँ जो सेवा पहलू की सर्वोच्चता का एक निश्चित संकेतक हो। विधायिका ने अपने विवेक में उक्त पर ध्यान दिया सर्वोच्चता और एकत्र करने के लिए एक संभावित क्षेत्र के रूप में उसी की पहचान की

अप्रत्यक्ष कर।

ख) यह प्रश्न कि क्या, समय-समय पर संशोधित वित्त अधिनियम, 1994 के तहत जिन सेवा कर का भुगतान किया गया था, उनके लिए संग्रहित शुल्क भी कर्नाटक [2022] 17 एस. सी. आर. के तहत कर के लिए उत्तरदायी थे।

डिजाइन-अवधारणा के निर्माण के बाद विज्ञापन सामग्री की बिक्री के लिए मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (केवीएटी) था इस न्यायालय द्वारा इमेजिक क्रिएटिव प्राइवेट में विचार किया गया। लिमिटेड बनाम। वाणिज्यिक कर आयुक्त और अन्य। [(2008) 2 एससीसी 614]। इस न्यायालय ने कहा कि सेवा कर के साथ-साथ केवीएटी का भुगतान भी पारस्परिक रूप से अनन्य है। कि उन्हें सेवा कर और बिक्री कर के संबंधित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए लागू माना जाना चाहिए जैसा कि एक समग्र अनुबंध में परिकल्पना की गई है जो एक अविभाज्य अनुबंध से विरोधाभासी है। इस प्रकार, एक अविभाज्य अनुबंध और एक समग्र अनुबंध के बीच एक अंतर किया गया था।

अनुबंध। ऐसा करने में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक समग्र अनुबंध का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 366 में कानूनी कल्पना हो।

ग) नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम सरकार भारत और ओआरएस। [(2013) 1 एस. सी. सी. 721], इस न्यायालय ने लागू करने के लिए एक एक्सप्रेस चार्जिंग प्रावधान की शुरुआत के प्रभाव पर चर्चा की।

1 जून, 2007 से पहले किए गए कार्य अनुबंध पर कर, 1 जून, 2007 से लागू होगा। उक्त मामले में, उसमें अपीलार्थी को समग्र निर्माण अनुबंधों को पूरा करने के व्यवसाय में कहा गया था। अपीलार्थी-निर्धारिती ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957, आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 और अन्य राज्य अधिनियमों के तहत उन अनुबंधों पर बिक्री-कर/वैट का भुगतान किया था। 1 जून, 2007 से पहले, निर्धारिती ने वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) (जेडजेडडी) के तहत 'निर्माण, चालू या स्थापना सेवा' की श्रेणी के तहत या धारा 65 (105) (जेडजेडक्यू) के तहत 'वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवा' के रूप में सेवा-कर का भुगतान किया था और

धारा 65 (105) (zzzh) के तहत 'जटिल सेवा के निर्माण' के रूप में।

घ) 1 जून, 2007 से, प्रभार प्रावधान, धारा 65 (105) (ज़ज़ा) को एक कार्य अनुबंध को परिभाषित करके पेश किया गया था। केंद्र सरकार ने 1 जून, 2007 से कार्य अनुबंध (सेवा के भुगतान के लिए संरचना योजना) भी शुरू की।

कर) नियम, 2007 (इसके बाद '2007 नियम' के रूप में संदर्भित)।

एस. कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक करों का केंद्र शासित प्रदेश निगम [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

इस योजना के तहत, कार्य अनुबंध पर ली गई सकल राशि के 2 प्रतिशत की दर से संयोजन का विकल्प दिया गया था। संरचना से पहले, सेवाओं की अन्य श्रेणी के तहत प्रभावी कर दर सकल कर की लगभग 3.96% होगी।

राशि।

ङ) नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में अपीलार्थी।

(उपर्युक्त) ने 2007 के नियमों के तहत संरचना योजना के लाभ का दावा करने की मांग की, हालांकि, निर्धारिती को परिपत्र संख्या 98/1/2008-एसटी, दिनांक 4 जनवरी, 2008 में एक खंड के कारण ऐसा करने के लिए अक्षम कर दिया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि एक कर योग्य सेवा, जिसे एक बार पुरानी व्यवस्था के तहत वर्गीकृत किया गया था, को 1 जून, 2007 के बाद अलग-अलग वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था, क्योंकि प्रतिफल या उसका एक हिस्सा 1 जून, 2007 के बाद प्राप्त हुआ था। इस न्यायालय के समक्ष परिपत्र संख्या 98/1/2008-एसटी के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। उक्त परिपत्र की वैधता को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी, जिसने कर योग्य सेवाओं के लिए 1 जून, 2007 से पहले सेवा कर का भुगतान किया था, 1 जून, 2007 को या उसके बाद सेवा कर के भुगतान के उद्देश्य से एकल समग्र सेवा के वर्गीकरण को बदलने का हकदार नहीं था और इसलिए, संयोजन योजना का लाभ उठाने का हकदार नहीं था। यह देखा गया कि अपीलार्थी-निर्धारिती ने पहले ही सेवा अनुबंध के वर्गीकरण के आधार पर सेवा कर का भुगतान कर दिया था जो 1 जून, 2007 से पहले लागू था और उक्त अनुबंध को धारा 65 (105) (ज़ज़ा) और 2007 के नियमों के लागू होने के बाद अलग-अलग वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। च) इस प्रकार, कार्य अनुबंध सेवाओं को वित्त अधिनियम, 1994 के संशोधन के अनुसार धारा 65 (105) में खंड (ज़ज़ा) लागू करके सेवा कर के दायरे में लाया गया था। उक्त परिचय वित्त अधिनियम, 2007 के अनुसार किया गया था, जिसने स्पष्ट रूप से ऐसे कार्यों के अनुबंध में सेवा घटक को 1 जून, 2007 से सेवा कर के लिए उत्तरदायी बना दिया था। वित्त अधिनियम, 1994 की उक्त धारा में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा कार्य अनुबंध जो अविभाज्य और समग्र थे, उन्हें विभाजित किया जा सकता था ताकि ऐसे अनुबंधों के केवल श्रम और सेवा तत्व ही ऐसा कर सकें।

सेवा कर के रूप में कर लगाया जाए।

(7) उपरोक्त घटनाक्रमों पर ध्यान देने के बाद, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) में विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है जैसा कि सीखा गया है।

सुश्री दीवान ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि उक्त निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह निर्णय स्थिति [2022] 17 एस. सी. आर. से संबंधित था।

v वित्त अधिनियम, 1994 में किए गए संशोधन से पहले, 1. ई. एफ. 2007 से, जिसमें कार्य अनुबंध की परिभाषा को निम्नानुसार शामिल किया गया हैः

क) उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने उस ऐतिहासिक परिवेश का पता लगाया जिसके भीतर कार्य अनुबंध पर बिक्री कर लगाने के संदर्भ में 46 वें संशोधन तक का विवाद आगे बढ़ा। यह सवाल उठाते हुए कि क्या सेवा कर लगाया जा सकता है

एक कार्य अनुबंध के सेवा तत्व पर, यह देखा गया कि सेवा कर वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा शुरू किया गया था और विभिन्न सेवाओं को कर के लिए उत्तरदायी होने के रूप में इसकी धारा 65 में निर्धारित किया गया था। इस तरह के कर की विधायी क्षमता का पता अनुच्छेद से लगाया जा सकता है।

248 भारत के संविधान की अनुसूची VII सूची I प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ें। उक्त मामले में विवाद वित्त अधिनियम में 2007 के संशोधन से पहले की अवधि के संबंध में था।

1994 वर्ष 2007 में जिसने कार्य अनुबंध की परिभाषा और अवधारणा को एक अलग विषय के रूप में पेश किया-कराधान का मामला। उक्त संशोधन कार्य अनुबंध, जो अविभाज्य और समग्र थे, को विभाजित किया गया था ताकि केवल श्रम और सेवा तत्व ऐसे अनुबंधों पर सेवा कर शीर्षक के तहत कर लगाया जाएगा। इस प्रकार, कर कार्य अनुबंध पर नहीं था। उक्त मामले में, राजस्व ने निर्णयों पर हमला करने के लिए चार तर्क दिए

विभिन्न न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों ने इस मुद्दे पर राजस्व के खिलाफ निर्णय लिया था। इसके विपरीत, मूल्यांकनकर्ताओं ने उनके विरुद्ध न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर हमला किया।

विशेष रूप से जी. डी. में निर्णय। बिल्डर्स बनाम भारत संघ

[(2013) 32 दिल्ली उच्च न्यायालय का एसटीआर 673]। आकलनकर्ताओं के अनुसार सेवा तत्व पर कोई सेवा कर नहीं लगाया गया था।

वर्ष 2007 में किए जा रहे संशोधन से पहले कार्य अनुबंध, जहां तक अविभाज्य कार्य अनुबंध का संबंध था और वित्त अधिनियम, 1994 के तहत जो कर योग्य था, वह केवल शुद्ध मामलों में था।

सेवा जिसमें कोई माल तत्व शामिल नहीं था। जी. डी. में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का आग्रह किया गया था। बिल्डर्स (ऊपर) पूरी तरह से गलत थे और लार्सन में दिल्ली न्यायाधिकरण की एक बड़ी पीठ के न्यायिक सदस्यों का अल्पमत निर्णय

& टुब्रो लिमिटेड बनाम. सी. एस. टी. (2013 की एस. टी. अपील No.58658 में,

अधिकारी जो इस मुद्दे के लिए प्रासंगिक थे और सही निष्कर्ष पर पहुंचे। इस प्रकार, मूल्यांकनकर्ताओं ने जी. डी. में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला किया। बिल्डर (ऊपर) और साथ में माना जाता है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम सी. एस. टी. (ऊपर)।

एस. कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक करों का केंद्र शासित प्रदेश निगम [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

105 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 और उसमें प्रासंगिक खंड, अर्थात् (जी), (जेडजेडडी), (जेडजेड), (जेडजेडक्यू) और (जेडजेड-एच); धारा 66 में सेवा कर का प्रभार; प्रभार के लिए कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन। सेवा कर [धारा 67 और धारा 65 (105) (ज़ज़ा)] के साथ-साथ सेवा कर अधिनियम (मूल्य निर्धारण) नियम 2006 के नियम 2-ए में, इस न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे की समझ और निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण दूसरा गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम गैनन डंकर्ली एंड कंपनी बनाम गैनन डंकर्ली एंड कंपनी बनाम गैनन राजस्थान राज्य [(1993) 1 एस. सी. सी. 364] (गन्नन डंकरले II) (ऊपर)। कि उक्त निर्णय में समग्र अविभाज्य कार्य अनुबंध पर कर लगाने के तौर-तरीकों का उल्लेख किया गया था, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। यह देखा गया कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं का मूल्य पूरे कार्य अनुबंध के मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना होगा और उसमें से श्रम और सेवाओं के लिए शुल्क की कटौती करनी होगी जिसमें -

" (क) कार्यों के निष्पादन के लिए श्रम शुल्क;

(ग) योजना, डिजाइन और वास्तुकार के शुल्क के लिए शुल्क; (घ) किराए पर या अन्यथा मशीनरी प्राप्त करने के लिए शुल्क और

कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण;

(ङ) पानी, बिजली, ईंधन आदि जैसी उपभोग्य सामग्रियों की लागत।

कार्यों के निष्पादन में उपयोग किया जाता है अनुबंध में संपत्ति

जो किसी कार्य के निष्पादन के दौरान हस्तांतरित नहीं किया जाता है।

अनुबंध; और (च) ठेकेदार की स्थापना की लागत जिस हद तक श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है;

(छ) श्रम की आपूर्ति से संबंधित अन्य समान व्यय और

सेवाएँ; (ज) ठेकेदार द्वारा अर्जित लाभ श्रम और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है।

कार्य अनुबंध पर बिक्री कर लगाने के आधार पर पहुंचने के उद्देश्यों के लिए, उपरोक्त शीर्षों के तहत कटौती योग्य राशि का निर्धारण किसी विशेष मामले के तथ्यों के आलोक में और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर किया जाना चाहिए।

ग) उपरोक्त कटौती के आठ शीर्षों का उल्लेख करते हुए यह देखा गया कि गैनन डंकरले द्वितीय में निर्णय के आलोक में

(उपर्युक्त) ठेकेदार के खाते में भी यही संकेत दिया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार ने उचित खाते नहीं रखे हैं या उनके खाते विश्वास के योग्य नहीं पाए जाते हैं, तो यह विधायिका पर छोड़ दिया जाता है कि वह श्रम और सेवा तत्व से संबंधित संपूर्ण कार्य अनुबंध के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर एक सूत्र निर्धारित करे। यह देखा गया कि "जब तक एक अविभाज्य कार्य अनुबंध का विभाजन नहीं होता है कटौती के आठ शीर्षों को ध्यान में रखते हुए, जो कर शुल्क लगाया जाएगा, उसमें अन्य चीजों के अलावा, स्थापना की पूरी लागत, अन्य खर्च और ठेकेदार द्वारा अर्जित लाभ शामिल होंगे और

निषिद्ध क्षेत्र में अतिक्रमण, अर्थात्, ऐसी लागत, व्यय और लाभ के ऐसे हिस्से में, जो कार्य अनुबंध में माल में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार होगा।

ऐसा अनुबंध "। इसलिए, यह पाया गया कि कर निर्धारकों का यह तर्क देना सही था कि सेवा कर प्रभार अनुभाग को स्वयं कार्य अनुबंध के सेवा तत्व पर सेवा कर के उद्ग्रहण को विशिष्टता के साथ निर्धारित करना चाहिए, और कर का माप केवल कार्य अनुबंध के उस हिस्से पर हो सकता है जिसमें एक सेवा तत्व होता है जो कार्य अनुबंध के लिए प्रभारित सकल राशि से प्राप्त किया जाना है और कार्य अनुबंध के निष्पादन में हस्तांतरित माल में संपत्ति के मूल्य को कम करता है। चूंकि यह वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए धारा 65 (105) में पांच शीर्षों के तहत कर का कोई भी शुल्क केवल सेवा अनुबंधों का होगा, न कि समग्र अविभाज्य कार्य अनुबंध का। संदर्भ की सुगमता के लिए उन पाँच शीर्षों को नीचे उल्लेख किया गया है:

" (छ) सलाह के संबंध में एक सलाहकार इंजीनियर द्वारा एक ग्राहक को, किसी भी तरह से परामर्श या तकनीकी सहायता

इंजीनियरिंग के अधिक विषय लेकिन के विषय में नहीं

कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर

इंजीनियरिंग;

*

*

*

(zzd) एक ग्राहक को, एक कमीशनिंग और स्थापना एजेंसी द्वारा निर्माण, चालू करने या स्थापना के संबंध में;

*

* एस. कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक करों का केंद्र शासित प्रदेश निगम [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

( ) किसी भी व्यक्ति को, एक तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण एजेंसी द्वारा,

तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण के संबंध में;

*

*

*

(zzq) किसी भी व्यक्ति को, एक वाणिज्यिक संस्था द्वारा, के संबंध में

निर्माण सेवा;

*

*

*

( ) किसी भी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, के संबंध में

व्याख्याः इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, निर्माण एक ऐसे परिसर का, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिक्री के लिए अभिप्रेत है।

बिल्डर या बिल्डर द्वारा पहले, उसके दौरान अधिकृत कोई भी व्यक्ति

या निर्माण के बाद (उन मामलों को छोड़कर जिनके लिए कोई राशि नहीं है)

संभावित खरीदार से या उसकी ओर से प्राप्त

बिल्डर या बिल्डर द्वारा अनुदान से पहले अधिकृत व्यक्ति

तत्काल लागू किसी भी कानून के तहत ऐसा प्रमाण पत्र) बिल्डर द्वारा प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी

खरीदार; "

घ) केंद्र और राज्य के पारस्परिक रूप से अनन्य कराधान और शक्तियों के बारे में बोलते हुए, इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में राज्य द्वारा लगाए जाने वाले बिक्री कर और केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले सेवा कर के बीच द्वंद्व पर जोर दिया। समग्र अविभाज्य कार्य अनुबंध के संदर्भ में, केवल संसद ही इन अनुबंधों में निहित सेवा तत्व पर कर लगा सकती है और राज्य ही इन अनुबंधों में निहित माल तत्व में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर लगा सकता है। इस प्रकार, कराधान के उद्देश्य से दोनों तत्वों को पूरी तरह से अलग करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि कार्य अनुबंध अनुबंध की एक अलग प्रजाति है जो वाणिज्य और कानून की दुनिया में मान्यता प्राप्त सेवा सरलीकरण अनुबंधों से अलग है और इस पर अलग से कर लगाया

जाना चाहिए। गैनन डंकरली I, (ऊपर) कोन एलिवेटर इंडिया (पी) लिमिटेड (ऊपर), लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (ऊपर) में कार्य अनुबंध के निर्णय का उल्लेख करते हुए।

बिक्री कर कानून के तहत उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में, इस बात पर जोर दिया गया कि वित्त अधिनियम, 1994 में कर कार्य अनुबंध के लिए कोई प्रभार अनुभाग नहीं था, यानी उप [2022] 17 एस. सी. आर. को शामिल करने के साथ किए गए संशोधन तक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड 105 का खंड। अंततः, पैरा 23 में इसे निम्नानुसार देखा गयाः

" 23. वित्त अधिनियम, 1994 पर बारीकी से नज़र डालने से पता चलता है कि

प्रभार अनुभाग में संदर्भित पाँच कर योग्य सेवाएं

कमीशनिंग और स्थापना अनुबंध। इसके अलावा, धारा 67 के तहत, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक कर योग्य सेवा का मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा इस तरह के लिए ली जाने वाली सकल राशि है। उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा। यह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि प्रभार प्रावधान में जो संदर्भित किया गया है वह सेवा अनुबंधों का कराधान है, न कि समग्र कार्य अनुबंध, जैसे कि वर्तमान मामलों के तथ्यों पर निहित हैं। यह भी ध्यान दिया जाएगा कि उपरोक्त धाराओं में से किसी ने भी कार्यों के अनुबंध के सकल मूल्य से माल में संपत्ति के मूल्य को घटाकर समग्र कार्य अनुबंधों से गैर-सेवा तत्वों को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया है।

एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में हस्तांतरित "।

यह भी देखा गया कि अविभाज्य कार्यों के सेवा तत्व पर सेवा कर की अवधारणा को लागू करते समय विभिन्न अनुबंध किए जाते हैं।

बहिष्करण भी किए जाते हैं, जैसे कि, के संबंध में कार्य अनुबंध संभवतः राष्ट्रीय हित में सड़कें, हवाई अड्डे, हवाई मार्ग परिवहन, पुल, सुरंग और बांध। बहिष्करण का निहितार्थ

कि ऐसे अनुबंधों का उद्देश्य कभी भी सेवा कर का विषय नहीं था।

ङ) इसके अलावा, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (ऊपर) में जी. डी. में निर्णय की शुद्धता। बिल्डर्स बनाम भारत संघ [(2013) 32 एसटीआर 673] पर भी विचार किया गया था। उक्त मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 65 (105) (जी), (जेडजेडडी), (जेडजेड), (जेडजेडक्यू)

और (जेड. जेड. जेड. एच.) अविभाज्य समग्र कार्य अनुबंध पर कर लगाने के लिए पर्याप्त थे और यह कि जब करों की गणना के लिए नियम बनाए जाने बाकी हैं, तब भी कर लगाए जा सकते हैं। यह प्रस्ताव माहिम पात्रम (पी) लिमिटेड बनाम माहिम पात्रम (पी) लिमिटेड बनाम माहिम पात्रम (पी) लिमिटेड बनाम

यूनियन एस. कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक करों का केंद्र शासित प्रदेश निगम [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

भारत का [(2007) 3 एस. सी. सी. 668]। यह देखा गया कि जी. डी. बिल्डर्स (ऊपर) में माहिम पत्रम (ऊपर) का गलत अध्ययन किया गया था जो केंद्रीय बिक्री के तहत कर से संबंधित मामला था।

कर अधिनियम; कि माहिम पत्रम (ऊपर) में, यह देखा गया था कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत विभिन्न राज्यों के अधिकारियों को प्रदान की गई मशीनरी का उपयोग करने की शक्ति प्रदान की जाती है।

केंद्रीय बिक्री कर के उद्ग्रहण और निर्धारण के प्रयोजनों के लिए राज्यों के बिक्री कर कानूनों के प्रावधानों के तहत केंद्रीय अधिनियम। वह नियम केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 13 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए भी बनाए जा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय बिक्री कर के मूल्यांकन के लिए आवश्यक तंत्र पाया गया। इसलिए, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अभाव में भी राज्य बिक्री कर कानून के तहत लेवी के उद्देश्य से प्रदान की गई मशीनरी

और केंद्रीय अधिनियम के तहत केंद्रीय बिक्री कर का उपयोग किया जा सकता है और यह कहने से अलग है कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत कोई नियम नहीं बनाए जा रहे हैं। केवल इसलिए कि केंद्रीय बिक्री कर के तहत गणना के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए थे

अधिनियम का यह पालन नहीं किया गया कि उक्त अधिनियम के तहत कोई कर नहीं लगाया गया था। इसलिए, जी. डी. में दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ। बिल्डरों को मंजूरी नहीं दी गई थी।

च) जी. डी. में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 51 के विशिष्ट संदर्भ में। बिल्डरों के मामले (ऊपर) में, यह देखा गया कि उक्त फैसले ने गैनन डंकरले द्वितीय (ऊपर) में इस अदालत के फैसले की अनदेखी की थी क्योंकि उक्त मामले में एक समग्र कार्य अनुबंध से सेवा तत्व के विभाजन का तरीका चित्रित किया गया था। कि सेवा तत्व को उससे प्रभारित सकल राशि से काटा जाना था न कि समग्र रूप से कार्य अनुबंध की सकल राशि से जिसमें से उक्त अनुबंध में सेवा तत्व तक पहुंचने के लिए विभिन्न कटौती की जानी थी। इसलिए, यह माना गया कि जी. डी. जी. डी. में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 31 को उद्धृत करने के बाद पैराग्राफ 39 में अवलोकन करके बिल्डरों (उपरोक्त) का सही निर्णय नहीं लिया गया था। बिल्डरः

" हमें डर है कि इस अनुच्छेद में कई त्रुटियाँ हैं।

उच्च न्यायालय ने पहले सही ढंग से कहा कि समग्र कार्य अनुबंधों के मामले में, सेवा तत्वों को विभाजित किया जाना चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए और फिर कर लगाया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष कि वास्तव में, [2022] 17 एस. सी. आर. है।

वित्त अधिनियम, 1994 अधिनियम द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से गलत है क्योंकि यह इस न्यायालय के दूसरे गैनन डंकरले [(1993) 1 एस. सी. सी. 364] निर्णय की अनदेखी करता है। इसके अलावा, यह निष्कर्ष कि वित्त अधिनियम की धारा 67, जो "सकल प्रभारित राशि" की बात करती है,

केवल प्रदान की गई सेवा के लिए "प्रभारित सकल राशि" की बात करता है, न कि समग्र रूप से कार्य अनुबंध की सकल राशि की, जिससे उक्त अनुबंध में सेवा तत्व पर पहुंचने के लिए विभिन्न कटौती की जानी है। इसलिए हम पाते हैं कि यह निर्णय अपने इस निष्कर्ष में पूरी तरह से गलत है कि वित्त अधिनियम, 1994 में अविभाज्य कार्यों पर सेवा कर लगाने और मूल्यांकन के लिए शुल्क और तंत्र दोनों शामिल हैं।

अनुबंध "। " 9

यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि वित्त अधिनियम, 1994 के बाद से

अविभाज्य समग्र कार्य अनुबंध पर सेवा कर लगाने और मूल्यांकन करने के लिए कोई शुल्क या तंत्र निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए, अधिनियम के तहत सेवा कर बिल्कुल भी मौजूद नहीं था और इसलिए कोई छूट या सेवा कर "लगाया" बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हुआ था।

(8) जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, कार्य अनुबंध की परिभाषा को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) के अनुसार सेवा कर के दायरे में लाया गया था। उक्त परिचय वित्त अधिनियम, 2007 के अनुसार किया गया था, जिसने स्पष्ट रूप से ऐसे कार्यों के अनुबंध में सेवा तत्व को 1 जून, 2007 से सेवा कर के लिए उत्तरदायी बना दिया था। उक्त संशोधन द्वारा, कार्य अनुबंध जो अविभाज्य और समग्र थे, उन्हें विभाजित किया जा सकता है ताकि ऐसे अनुबंधों के केवल श्रम और सेवा तत्व पर "सेवा कर" शीर्षक के तहत कर लगाया जा सके। 9) यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में है कि वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 65 (105) के आधार पर पहली बार अंतःस्थापित कार्य अनुबंध की परिभाषा महत्वपूर्ण है और इसे 1 जून, 2007 से लागू किया जाना है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2007, अर्थात 1 जून, 2007 में संशोधन के प्रवर्तन पर और उससे सेवा घटक पर कर

कार्यों का अनुबंध देय हो गया। इसलिए, तब तक यह इतना देय नहीं था क्योंकि उक्त अधिनियम के तहत कार्य अनुबंध की कोई अवधारणा नहीं थी।

10) लार्सन एंड टुब्रो में मामले के इस पहलू को पहचानना

लिमिटेड (ऊपर), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कार्य अनुबंध पर सेवा कर अधिरोपणीय नहीं था, जिसका अर्थ है कि ऊपर परिभाषित कार्य अनुबंध के सेवा घटक पर ऐसा कर संशोधन से पहले सेवा कर को आकर्षित नहीं करता था।

एम/एस। कुल पर्यावरण निर्माण प्रणाली पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर विभाग [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

11) इसके अलावा, सेवा कर आयुक्त और अन्य बनाम भयाना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य [(2018) 3 एस. सी. सी. 782] मामले में, इस न्यायालय ने बड़े के फैसले की शुद्धता पर विचार किया।

भयान बिल्डर्स (पी) लिमिटेड बनाम भयान बिल्डर्स (पी) लिमिटेड के मामले में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में, "सी. ई. एस. टी. ए. टी".) की पीठ दिनांक 06.09.2013। सी. एस. टी. [(2013) एस. सी. सी. ऑनलाइन सी. ई. एस. टी. ए. टी. 1951]। उक्त मामले में, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) पर निर्भरता रखी गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब कार्य अनुबंध पर सेवा कर नहीं लगाया जाएगा, तो किसी भी छूट का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि केंद्रीय सरकार को सेवा कर के उद्ग्रहण से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट देने का अधिकार है, केवल तभी जब वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड (105) के उपखंडों में परिभाषित कोई "कर योग्य सेवा" हो और अन्यथा नहीं। यह न्यायालय सी. ई. एस. टी. ए. टी. की पूर्ण पीठ द्वारा दिनांकित 06.09.2013 के निर्णय में लिए गए दृष्टिकोण से सहमत था और

राजस्व की अपीलों को खारिज कर दिया।

12) इसलिए, वर्तमान मामले में निर्धारिती द्वारा रखी गई निर्भरता

उपरोक्त निर्णयों पर न्यायसंगत और उचित है। दूसरी ओर, सुश्री दीवान का यह तर्क कि वित्त अधिनियम, 1994 में किए जा रहे उपरोक्त संशोधन से पहले भी कार्य अनुबंध पर सेवा कर लगाने योग्य नहीं था, सही नहीं है। यह विशुद्ध रूप से सेवा अनुबंध पर लगाया जा रहा था न कि कार्य अनुबंध के सेवा तत्व पर। तब तक कार्य अनुबंध की कोई परिभाषा नहीं थी। इसलिए, खंड (ज़ज़ा) के तहत कार्य अनुबंध की परिभाषा को शामिल करके वित्त अधिनियम, 1994 में किया गया संशोधन प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक नहीं है। यह पता चलने पर कि कार्य अनुबंध के सेवा तत्व पर सेवा कर बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता था, संसद ने संशोधन की आवश्यकता महसूस की और इसे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा शामिल किया गया।

13) इस प्रकार, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय सही ढंग से तय किया गया है और इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

1 जून, 2007 से पहले की अवधि का संबंध है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं उनके लॉर्डशिप एम. आर. शाह जे. बनाम सिविल अपील संख्या को छोड़कर सभी सिविल अपीलों को विचाराधीन होने की अनुमति देने के परिणाम से सहमत हूं। 6792 2010 का जो खारिज कर दिया गया है। कोई लागत नहीं।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन

(सहायकः प्रज्ञा सामल, एलसीआरए)